

परिशिष्ट



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)

2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम/योजनाओं के तहत राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

| भारत सरकार की योजना  | कार्यान्वयन एजेंसी   | 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधि |
|--|--|--|
| वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता  | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय                                | 23.18  |
| अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता   | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय                                | 63.04  |
| पंचायत सशक्तिकरण अभियान  | हिमाचल प्रदेश पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सोसाइटी     | 18.62  |
| सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण   | फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धर्मशाला                                   | 0.10   |
|  | इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कुफरी                               | 0.91   |
|  | इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हमीरपुर                             | 141.50                                       |
| निर्यात के विकास के लिए राज्य की सहायता  | हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड                    | 28.07  |
| विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम  | सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय                            | 3.70   |
|  | डा0 वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय                    | 1.92   |
|  | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी                                 | 82.58  |
|  | हिमालयन जैव-संसाधन संस्थान   | 1.82   |
| कृषि   | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण सीएएसपी                           | 7.46   |
|  | बागवानी विकास मिशन   | 23.75  |
|  | मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना                    | 3.38   |
|  | राष्ट्रीय वर्षा फेड क्षेत्र प्राधिकरण                              | 8.00   |
|  | कृषि विस्तार पर प्रस्तुतीकरण                                       | 12.49  |
|  | कृषि यंत्रोपकरण पर प्रस्तुतीकरण                                    | 14.62  |
|  | बीज और पौधा रोपण सामग्री पर प्रस्तुतीकरण                           | 8.16   |
|  | उत्तर पूर्व में हेलीकाप्टर सेवाएं                                  | 2.50   |
|  | भारत रिजर्व बीएनएस आयोजनेतर  | 4.37   |
|  | महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना                                    | 3.59   |
|  | श्रम एवं रोजगार  | चुनाव के संगठन                               |
| ग्रामीण विकास  | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन                           | 36.31  |
|  | राष्ट्रीय पोषण मिशन  | 41.53  |
| कृषि   | राष्ट्रीय गोकुल मिशन   | 17.29  |
| हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन  | ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-ग्रिड   | 51.47  |
| भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर  | नए आईआईएमएस की स्थापना   | 28.23  |
| गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जनजाति के कोचिंग व सम्बद्ध योजनाओं के लिए सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय प्रदर्षण हेतु पुरस्कार | बौद्ध संस्कृति सोसाइटी, डेगोमपा                                    | 0.17   |
|  | बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक समाज में अध्ययन संस्थान, टीएबीओ | 0.20   |
|  | रामधा बौद्ध समाज   | 0.18   |
|  | हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक संघ, मनाली, हिमाचल प्रदेश                 | 0.67   |
| ग्रिड इन्टरेक्टिव अक्षय ऊर्जा, एमएनआरई   | हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी                                   | 29.48  |
|  | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी                                 | 0.75   |
|  | एसबीआई शिमला   | 2.50   |
| परिवहन सब्सिडी योजना   | हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड                    | 94.67  |
| उच्च शिक्षा योजना  | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी                               | 15.06  |
| अन्य   | --   | 166.74                                       |
| <b>योग</b>   |  | <b>962.08</b>                                |

स्त्रोत: वित्त लेखा

परिशिष्ट-1.2

( संदर्भ परिच्छेद 1.3; पृष्ठ 2 )

2014-19 के दौरान लगातार बचत ( प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा उससे ज्यादा ) वाले विभिन्न अनुदानों का विवरण  
( ₹ करोड़ में )

| क्रम संख्या              | अनुदान संख्या | अनुदान / विनियोग का नाम                      | लगातार बचत |         |         |         |         |
|--------------------------|---------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|
|                          |               |  | 2014-15    | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| <b>राजस्व ( दत्तमत )</b> |               |  |            |         |         |         |         |
| 1.                       | 03            | प्रशासनिक न्याय                              | 4.52       | 12.53   | 9.82    | 10.14   | 25.20   |
| 2.                       | 04            | सामान्य प्रशासन                              | 10.12      | 17.03   | 11.62   | 13.13   | 18.83   |
| 3.                       | 07            | पुलिस एवं संबद्ध संगठन                       | 9.14       | 73.42   | 37.08   | 81.89   | 143.83  |
| 4.                       | 08            | शिक्षा                                       | 385.37     | 1076.22 | 864.96  | 665.02  | 955.16  |
| 5.                       | 09            | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                  | 151.89     | 366.81  | 295.90  | 211.66  | 330.85  |
| 6.                       | 14            | पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन         | 6.72       | 35.36   | 35.18   | 43.67   | 68.34   |
| 7.                       | 15            | योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना             | 11.64      | 31.40   | 28.40   | 16.81   | 30.57   |
| 8.                       | 16            | वन तथा वन्यजीव                               | 3.39       | 33.23   | 57.50   | 85.36   | 130.31  |
| 9.                       | 18            | उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 5.20       | 12.23   | 8.46    | 11.45   | 96.03   |
| 10.                      | 19            | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता                  | 1.06       | 47.43   | 20.78   | 55.55   | 28.84   |
| 11.                      | 20            | ग्रामीण विकास                                | 109.86     | 228.23  | 121.61  | 402.93  | 383.93  |
| 12.                      | 21            | सहकारिता                                     | 5.26       | 8.45    | 10.23   | 3.54    | 3.61    |
| 13.                      | 24            | प्रिंटिंग व स्टेशनरी                         | 1.45       | 2.21    | 6.02    | 2.81    | 1.19    |
| 14.                      | 25            | सड़क एवं जल परिवहन                           | 1.41       | 1.43    | 1.06    | 2.10    | 2.25    |
| 15.                      | 27            | श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण                    | 61.81      | 63.72   | 71.98   | 199.27  | 39.93   |
| 16.                      | 29            | वित्त  | 581.48     | 228.94  | 97.70   | 266.88  | 956.41  |
| 17.                      | 30            | विविध सामान्य सेवाएं                         | 4.80       | 13.99   | 13.00   | 7.51    | 8.97    |
| 18.                      | 31            | जन जाति विकास                                | 14.36      | 129.65  | 177.85  | 242.88  | 325.72  |
| 19.                      | 32            | अनुसूचित जाति उप-योजना                       | 17.15      | 32.62   | 321.15  | 405.83  | 390.87  |
| <b>पूंजी ( दत्तमत )</b>  |               |  |            |         |         |         |         |
| 20.                      | 09            | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                  | 6.44       | 6.01    | 2.93    | 4.77    | 8.94    |
| 21.                      | 13            | सिंचाई जल, आपूर्ति एवं स्वच्छता              | 8.96       | 270.58  | 185.72  | 88.76   | 151.79  |
| 22.                      | 29            | वित्त  | 5.49       | 5.20    | 1.51    | 7.98    | 6.27    |
| 23.                      | 31            | जन जाति विकास                                | 7.17       | 17.38   | 20.88   | 58.21   | 82.25   |
| 24.                      | 32            | अनुसूचित जाति उप-योजना                       | 9.27       | 108.95  | 99.31   | 132.87  | 154.08  |

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

## परिशिष्ट-1.3

( संदर्भ परिच्छेद 1.6; पृष्ठ 3 )

31 मार्च 2019 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा  
( ₹ करोड़ में )

| अवधि          | ग्रामीण विकास विभाग |              |                 |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
|               | निरीक्षण प्रतिवेदन  | परिच्छेद     | राशि            |
| मार्च 2009 तक | 218                 | 410          | 135.26          |
| 2009-10       | 28                  | 74           | 43.78           |
| 2010-11       | 20                  | 45           | 80.64           |
| 2011-12       | 20                  | 64           | 80.22           |
| 2012-13       | 24                  | 81           | 71.45           |
| 2013-14       | 23                  | 118          | 135.65          |
| 2014-15       | 31                  | 143          | 107.82          |
| 2015-16       | 25                  | 145          | 256.21          |
| 2016-17       | 20                  | 173          | 255.41          |
| 2017-18       | 5                   | 184          | 172.86          |
| <b>योग</b>    | <b>414</b>          | <b>1,437</b> | <b>1,339.30</b> |

## परिशिष्ट-1.4

( संदर्भ परिच्छेद 1.6; पृष्ठ 3 )

31 मार्च 2019 तक उन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों को दर्शाने वाले विवरण जिन पर अनियमितताओं पर टिप्पणियां की गईं

( ₹ करोड़ में )

| क्रम संख्या | अनियमितताओं के प्रकार   | ग्रामीण विकास विभाग |                 |
|-------------|---|---------------------|-----------------|
|             |   | परिच्छेद            | राशि            |
| 1.          | आवश्यकताओं से पूर्व धनराशि का अग्रिम आहरण/निधियों का अवरोध                | 280                 | 375.36          |
| 2.          | अग्रिमों का समायोजन न होना  | 23                  | 0.41            |
| 3.          | संस्वीकृतियों के लिए अतिरिक्त/ अनधिकृत/ अनियमित व्यय                      | 169                 | 41.59           |
| 4.          | व्यर्थ/अर्थहित/निष्फल व्यय  | 136                 | 131.35          |
| 5.          | निधियों का पथांतरण  | 32                  | 15.62           |
| 6.          | अधिक भुगतान, किराये/अग्रिम राशि/विविध वसूलियों की वसूली न होना            | 78                  | 9.02            |
| 7.          | वास्तविक प्राप्तकर्ता की प्राप्ति प्रस्तुत न करना                         | 28                  | 5.78            |
| 8.          | बकाया ऋण  | 62                  | 3.24            |
| 9.          | वाहनों सहित बेकार मशीन/उपकरण  | 04                  | 0.07            |
| 10.         | अलेखांकन/ भण्डारों की कमी   | 49                  | 73.85           |
| 11.         | भण्डार/नकदी/निधि का दुर्विनियोजन  | 51                  | 11.92           |
| 12.         | छोड़े गए अधूरे कार्य  | 119                 | 165.80          |
| 13.         | हानि/चोरी/गबन/चूक, परिहार्य व्यय आदि                                      | 43                  | 23.84           |
| 14.         | उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना                                      | 24                  | 33.94           |
| 15.         | स्टोर के सेवा हेतु अयोग्य सामान का निपटान न करना                          | 07                  | 0.33            |
| 16.         | कोषागार/बैंक के साथ मिलान न करना  | 27                  | 27.15           |
| 17.         | अनुदान सहायता का गैर-उपयोग  | 44                  | 82.43           |
| 18.         | स्वीकृत प्राधिकारी/कोषागार में अव्ययित राशि/ब्याज को जमा/ प्रतिदाय न करना | 61                  | 39.50           |
| 19.         | विविध अनियमितताएं   | 200                 | 298.10          |
| <b>योग</b>  |   | <b>1,437</b>        | <b>1,339.30</b> |

परिशिष्ट-1.5

( संदर्भ परिच्छेद 1.8; पृष्ठ 4 )

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण का विवरण

| क्रम संख्या | निकाय का नाम  | सौंपे जाने की अवधि | वर्ष जब तक के लिए लेखे प्रस्तुत किए गए | लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब              | अवधि जब तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | अवधि तब तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत किए | लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया व विलम्बित थे |
|-------------|---|--------------------|--|--|--|--|---|
| 1.          | हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्                       | 2005-06 के बाद     | 2017-18                                | 2 माह 17 दिन                                   | 2017-18<br>( 17.10.2018 )                                | 2015-16<br>( 15.03.2017 )  | 2018-19   |
| 2.          | हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला                     | --                 | 2018-19                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | --  |
| 3.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर                            | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 4.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना                                | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 5.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन                               | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 6.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा                              | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 7.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर                           | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 8.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला                              | --                 | 2018-19                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | --  |
| 9.          | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन                               | --                 | 2018-19                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | --  |
| 10.         | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू                             | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 11.         | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर               | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 12.         | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा             | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 13.         | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी                              | --                 | 2017-18                                | --   | 2013-14  | 2013-14  | 2018-19   |
| 14.         | हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला | 2009-10            | 2015-16 से<br>2017-18                  | 2015-16<br>( 2 वर्ष )<br>2016-17<br>( 1 वर्ष ) | 2014-15  | 2014-15  | 2018-19   |

## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 8)

वर्ष 2014-19 के दौरान बागवानी विभाग के व्यय का घटक/योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या                  | घटक/योजना का नाम   | व्यय            |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>घटक/राज्य योजनाएं</b>     |  |                 |
| 1.                           | निदेशालय और प्रशासन  | 42.45           |
| 2.                           | भवन/कच्चा माल  | 78.32           |
| 3.                           | जिला और क्षेत्रीय कर्मचारी   | 108.70          |
| 4.                           | बागवानी विभाग के पेंशनभोगी   | 6.07            |
| 5.                           | वाई.एस. परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान                          | 488.11          |
| 6.                           | अन्य रख-रखाव व्यय  | 0.36            |
| 7.                           | एच.पी.एम.सी. का ऋण   | 48.09           |
| 8.                           | सेब पपडी (scab)सब्सिडी   | 0.21            |
| 9.                           | प्लास्टिक क्रेट पर सब्सिडी   | 4.00            |
| 10.                          | बागवानी विकास परियोजना   | 140.31          |
| 11.                          | मधुमक्खी पालन योजना  | 12.25           |
| 12.                          | पुष्पकृषि विकास  | 6.24            |
| 13.                          | मशरूम विकास  | 12.83           |
| 14.                          | सरकारी बगीचों/पौधा घर की स्थापना/रख-रखाव   | 36.44           |
| 15.                          | फल पौधा पोषण   | 5.13            |
| 16.                          | फल प्रसंस्करण योजना  | 26.70           |
| 17.                          | बागवानी विकास योजना (S00N)   | 89.41           |
| 18.                          | पौधा संरक्षण योजना   | 4.94            |
| 19.                          | प्रशिक्षण और विस्तार/किसान   | 98.83           |
| 20.                          | उच्च गुणवत्ता वाले रूट स्टॉक का आयात   | 12.00           |
| 21.                          | विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण   | 83.42           |
| 22.                          | मुख्यमंत्री किंवो प्रोत्साहन योजना   | 3.99            |
| 23.                          | नर्सरी संवर्धन योजना   | 0.10            |
| 24.                          | युवाओं को पौधों की छंटाई, चिप बर्दिंग और फुहार का प्रशिक्षण                            | 2.47            |
| 25.                          | मौसम आधारित फसल बोमा योजना   | 57.63           |
| 26.                          | अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (SOON)  | 0.29            |
| 27.                          | फल पौधे वितरण  | 0.008           |
| 28.                          | संरक्षित कृषि योजना राज्यांश   | 12.03           |
| 29.                          | मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरण  | 1.00            |
| 30.                          | प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान  | 1.00            |
| 31.                          | हिमाचल पुष्प क्रांति योजना   | 10.00           |
| 32.                          | मुख्यमंत्री मधु विकास योजना  | 10.00           |
| 33.                          | ओला अवरोधक जाल पर सब्सिडी  | 24.00           |
| 34.                          | 30-औजार और मशीनरी के वितरण पर व्यय (S00N)  | 0.14            |
| 35.                          | सूक्ष्म सिंचाई योजना (S30N)  | 0.86            |
| 36.                          | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (S50N/S10N)   | 6.54            |
| 37.                          | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (S10N)  | 4.79            |
| 38.                          | खेत पर जल प्रबंधन (S10N)   | 0.05            |
| 39.                          | बागवानी के विकास पर एकीकृत विकास मिशन राज्यांश   | 27.61           |
| 40.                          | विशेष केंद्रीय सहायता (9-S00N)   | 0.51            |
| <b>योग</b>                   |  | <b>1,467.83</b> |
| <b>भारत सरकार की योजनाएं</b> |  |                 |
| 41.                          | बागवानी के विकास पर एकीकृत विकास मिशन/ उत्तरी-पूर्वी हिमालय राज्य के लिये बागवानी मिशन | 152.77          |
| 42.                          | सूक्ष्म सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन/ खेत पर जल प्रबंधन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना   | 10.75           |
| 43.                          | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना   | 38.41           |
| 44.                          | अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (C00N)  | 0.93            |
| 45.                          | विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत बागवानी पर व्यय (9-A00S)                              | 6.02            |
| 46.                          | आदिवासी क्षेत्र उप-योजना को विशेष केन्द्र सहायता (30-41)                               | 4.73            |
| 47.                          | अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्र सहायता (13-17 A00N)                             | 4.76            |
| <b>योग:</b>                  |  | <b>218.37</b>   |
| <b>सकल योग</b>               |  | <b>1,686.20</b> |

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट- 2.2

( संदर्भ परिच्छेद 2.1.7.2; पृष्ठ 12 )

भारत सरकार की योजनाओं की रूपरेखा

| योजनाओं का नाम                             | रूपरेखा   |
|--|---|
| बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH) | <p>बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2014 में निम्न उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जिसमें अनुसंधान, तकनीकी समृद्धि, विस्तार, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण और विवरण शामिल है।</li> <li>● बागवानी उत्पादन में वृद्धि, किसान की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना।</li> <li>● उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लास्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई द्वारा पानी की दक्ष उपयोगिता द्वारा उत्पादकता सुधार</li> <li>● बागवानी और फसलोत्तर प्रबंधन में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास में सहयोग और रोजगार उत्पादन के अवसर विशेष रूप से कोल्ड चेन क्षेत्र में।</li> </ul> |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)          | <p>कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना (2007-12) में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जन निवेश की बढ़ोतरी, राज्य को प्रोत्साहन हेतु उत्पादन व उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई।</p>  |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)     | <p>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक जुलाई 2015 को क्षेत्र स्तर पर सिंचाई क्षेत्र में निवेश में अभिसरण प्राप्त करना के उद्देश्य से शुरू की गई। सूक्ष्म सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन जनवरी 2006 में शुरू की गई थी जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बन गई। योजना का लक्ष्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना अर्थात जल संसाधन, वितरण जाल, खेत स्तर पर अनुपयोग एवं पानी की दक्ष उपयोगिता में सुधार।</p>  |

## परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.7.2; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंकों में पड़ी अप्रयुक्त निधियां

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का नाम           | एम.आई.डी.एच  | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
|-------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.          | एस एम एस (बागवानी), कोटखाई, शिमला            | 0.40         | 0.61                       | 0                              |
| 2.          | फल विशेषज्ञ एफ.सी.यू. नगरोटा बागवान, कांगड़ा | 0            | 0.16                       | 0                              |
| 3.          | एस एम एस (बागवानी), एफ सी यू राजपुरा, चम्बा  | 0            | 0.21                       | 0                              |
| 4.          | फल विशेषज्ञ नवबहार, शिमला                    | 0            | 0.47                       | 0                              |
| 5.          | एस एम एस (बागवानी), एफसीयू निहाल, बिलासपुर   | 0            | 0.05                       | 0                              |
| 6.          | एस एम एस (बागवानी), स्पीति स्थित काजा        | 0.14         | 0                          | 0                              |
| 7.          | एस एम एस (बागवानी), कोटखाई, शिमला            | 0.17         | 0.36                       | 0                              |
| 8.          | एस एम एस (बागवानी), करसोग, मंडी              | 0.11         | 0.06                       | 0.08                           |
| 9.          | एस एम एस (बागवानी), रामपुर, शिमला            | 0.51         | 0.37                       | 0.22                           |
| 10.         | डी. डी. एच. सिरमौर स्थित नाहन                | 2.72         | 0.42                       | 0.31                           |
| 11.         | डी. डी. एच. मंडी                             | 3.72         | 0.48                       | 1.14                           |
| 12.         | डी. डी. एच. चम्बा                            | 1.46         | 0.49                       | 0.40                           |
| 13.         | डी. डी. एच. ऊना                              | 1.52         | 0.04                       | 0.27                           |
| 14.         | डी. डी. एच. हमीरपुर                          | 1.18         | 0.09                       | 0.22                           |
| 15.         | एस एम एस (बागवानी), स्पीति स्थित काजा        | 0.02         | 0                          | 0                              |
| 16.         | डी. डी. एच. कांगड़ा                          | 2.53         | 0.22                       | 1.09                           |
| 17.         | डी. डी. एच. शिमला                            | 4.48         | 1.09                       | 1.04                           |
| 18.         | डी. डी. एच. किन्नौर                          | 0.89         | 0.28                       | 0.43                           |
| 19.         | डी. डी. एच. सोलन                             | 2.40         | 0.27                       | 0.56                           |
|             | <b>योग:</b>                                  | <b>22.25</b> | <b>5.67</b>                | <b>5.76</b>                    |
|             | <b>कुल योग</b>                               |              |                            | <b>33.68</b>                   |

परिशिष्ट-2.4

( संदर्भ परिच्छेद 2.1.8.2; पृष्ठ 15 )

निर्माण कार्यों की प्रारिथिति

( क ) कार्य जो शुरू नहीं हुए उनका विवरण

( ₹ लाख में )

| क्रम संख्या | कार्य/भवन का नाम  | अनुमानित लागत | प्राप्त निधियां | एजेंसी को जारी निधियां | एजेंसी को निधि जारी करने की तिथि | एजेंसी को जारी की जाने वाली शेष निधि | कार्य शुरू न होने का कारण                                |
|-------------|---|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.          | 2.  | 3.            | 4.              | 5.                     | 6.                               | 7.                                   | 8.   |
| 1.          | पीसीडीओ झमर-IV , मंडी में डीडीएच का आवासीय भवन            | 26.74         | 26.74           | 26.74                  | 2009 से 2017-18                  | 0                                    | कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य नहीं शुरू किया गया         |
| 2.          | कार्यालय भवन, यांग्थांग                                   | 0             | 1.23            | 1.23                   | 2009 से 2018-19                  | 0                                    | जमीन उपलब्ध नहीं   |
| 3.          | आवासीय क्वार्टर टाईप-V निदेशक के लिए                      | 32.96         | 32.96           | 32.96                  | 03/2009 से 03/2011               | 0                                    | जमीन उपलब्ध नहीं   |
| 4.          | कार्यालय सह एचडीओ का निवास, पीसीडीओ खदराला                | 14.47         | 14.47           | 14.47                  | 03/2010 से 10/2013               | 0                                    | कार्य शुरू नहीं  |
| 5.          | कार्यालय सह एचडीओ का निवास टिक्कर                         | 14.47         | 14.47           | 14.47                  | 03/2010 से 09/2012               | 0                                    | कार्य शुरू नहीं  |
| 6.          | कार्यालय सह निवास टाईप III हीओ पीपीसी के लिए कलबोग        | 13.78         | 13.78           | 13.78                  | 03/2010 से 09/2012               | 0                                    | एफसीए अनुमोदन बहुप्रतीक्षित                              |
| 7.          | एच डीओ जुब्ल के लिए कार्यालय सह निवास टाईप II             | 18.95         | 18.95           | 18.95                  | 05/2010 से 10/2013               | 0                                    | जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से भूमि का हस्तांतरण किया जाना |
| 8.          | आवासीय भवन टाईप II एसएमएस एफ.सी.यू. रिकांग पिओ            | 87.00         | 14.30           | 14.30                  | 07/2010 से 08/2014               | 72.70                                | अपर्याप्त धन   |
| 9.          | कार्यालय सह निवास टाईप - III, एच ई ओ, पी पी सी बतरगलु     | 13.64         | 9.65            | 9.65                   | 03/2011 से 01/2015               | 3.99                                 | भूमि शीर्षक स्पष्ट नहीं                                  |
| 10.         | एच ई ओ पीपीसी कुडू हेतु कार्यालय सह रहवासी भवन टाईप-III   | 13.64         | 10.65           | 10.65                  | 03/2011 से 01/2015               | 2.99                                 | भूमि स्थानांतरण का मामला चल रहा है                       |
| 11.         | कार्यालय सह आवासीय टाईप-III एच ई ओ पीपीसी के लिए महासु की | 13.64         | 13.64           | 13.64                  | 03/2011 से 09/2012               | 0                                    | एफसीए मामले का अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित                  |

| 1.  | 2.   | 3.             | 4.            | 5.            | 6.                 | 7.             | 8.  |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---|
| 12. | कार्यालय सह आवासीय मैरोग में भवन                                     | 11.26          | 11.26         | 11.26         | 03/2011 से 08/2017 | 0              | एफसीए मामला प्रक्रियाधीन  |
| 13. | एच ई ओ पीपीसी थरोला के लिए कार्यालय सह आवासीय टाईप - III भवन         | 13.64          | 13.64         | 13.64         | 03/2011 से 09/2012 | 0              | एफसीए मामला प्रक्रियाधीन  |
| 14. | एच ई ओ पीपीसी गुम्मा कोटखाई के लिए कार्यालय सह आवासीय टाईप - III भवन | 13.64          | 13.64         | 13.64         | 03/2011 से 12/2014 | 0              | भूमि स्थानान्तरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है |
| 15. | आवासीय/भवन टाईप -IV डीडीएच के लिए क्वार्टर कांगड़ा                   | 52.21          | 52.21         | 52.21         | 07/2011 से 06/2019 | 0              | काम शुरू नहीं किया गया  |
| 16. | कार्यालय सह आवासीय भवन टाईप-III (अणु)                                | 34.8           | 16.57         | 16.57         | 11/2011 से 03/2015 | 18.23          | अपयोप्त धन  |
| 17. | जे डी एच/डी एचएचपी स्टाफ के लिए आवासीय भवन                           | 619.54         | 238.18        | 238.18        | 12/2011 से 03/2019 | 381.36         | जमीन उपलब्ध नहीं  |
| 18. | प्रशिक्षण हॉल, एफ.टी. शमशी, कुल्लू                                   | 56.34          | 32.03         | 32.03         | मार्च -12          | 24.31          | अपयोप्त धन  |
| 19. | फल प्रसंस्करण इकाई, धौलाकुंआ   | 250.58         | 30.00         | 30.00         | 03/2012 से 06/2019 | 220.58         | अपयोप्त धन  |
| 20. | सेंटर स्टोर स्पिलो का निर्माण  | 40.95          | 26.66         | 26.66         | 07/2014 से 2018-19 | 14.29          | अपयोप्त धन  |
| 21. | सेंटर स्टोर सांगला का निर्माण  | 0              | 0.53          | 0.53          | 07/2014 से 08/2017 | 0              | जमीन उपलब्ध नहीं  |
| 22. | पीपीसी जलोग में कार्यालय सह आवासीय भवन                               | 112.02         | 17.00         | 17.00         | 04/2015 से 04/2018 | 95.02          | एफसीए मामला प्रक्रियाधीन  |
| 23. | एसएमएस करसोग   | 126.25         | 57.68         | 57.68         | 03/2016 से 09/2019 | 68.57          | जमीन उपलब्ध नहीं  |
| 24. | आवासीय बिल्डिंग टाइप-IV जेवी एसएमएस पालमपुर                          | 99.74          | 21.00         | 21.00         | 07/2017 से 07/2019 | 78.74          | अपयोप्त धन  |
| 25. | एसएमएस मशरूम विकास परियोजना चंबाघाट में किसान छात्रावास              | 424.80         | 21.00         | 21.00         | 01/2018 से 10/2018 | 403.8          | अपयोप्त धन  |
| 26. | खाद इकाई का निर्माण, चंबाघाट   | 203.27         | 70.00         | 70.00         | जनवरी -19          | 133.27         | अपयोप्त धन  |
|     | <b>कुल (क)</b>   | <b>2308.33</b> | <b>792.24</b> | <b>792.24</b> |                    | <b>1517.85</b> |   |

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

(ख) जो कार्य प्रगति पर हैं उनका विवरण:

( ₹ लाख में )

| क्रम संख्या | कार्य/भवन का नाम   | अनुमानित लागत   | प्राप्त निधियां | एजेसी को जारी निधियां | एजेसी को निधियां जारी करने की तिथि | एजेसी को जारी की जाने वाली शेष निधियां | कार्य शुरू न होने का कारण |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.          | 2.   | 3.              | 4.              | 5.                    | 6.                                 | 7.                                     | 8.                        |
| 1.          | रिकांग पिओ में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन ( टाईप-III-18 क्वार्टर, टाईप-II-2 क्वार्टर) | 89.81           | 47.64           | 34.43                 | 11/1999 से 08/2017                 | 55.38                                  | अपर्याप्त धन              |
| 2.          | स्पिलो अब पुह में केंद्रीय स्टोर का निर्माण कार्य  | 40.93           | 16.18           | 5.30                  | 2001 से 2018-19                    | 35.63                                  | अपर्याप्त धन              |
| 3.          | पीसीडीओ क्लिबा में बाड़ लगाने का कार्य   | 42.16           | 21.71           | 21.71                 | 2008-2019                          | 20.45                                  | अपर्याप्त धन              |
| 4.          | पीसीडीओ भंगरोट्ट, बल्ह में एचडीओ/एचईओ ब्लॉक के लिए आवासीय भवन                            | 27.86           | 27.86           | 27.86                 | 2010 से 2017-18                    | 0                                      | अपूर्ण                    |
| 5.          | पीसीडीओ समरान में एचडीओ/एचईओ हेतु आवासीय भवन   | 27.86           | 27.86           | 27.86                 | 2010 से 2017-18                    | 0                                      | अपूर्ण                    |
| 6.          | पीसीडीओ अणु में एचडीओ हेतु आवासीय भवन टाईप-II  | 23.84           | 23.84           | 23.84                 | 05/2010 से 03/2013                 | 0                                      | अपूर्ण                    |
| 7.          | पीपीसी खनटी, कोटखाई में एचडीओ हेतु टाईप-II   | 13.64           | 13.64           | 13.64                 | 03/2011 से 10/2013                 | 0                                      | अपूर्ण                    |
| 8.          | हरिपुर मोहल्ला नाहन में डीडीएच हेतु आवासीय भवन   | 53.11           | 28.48           | 28.48                 | 01/2012 से 04/2019                 | 24.63                                  | अपर्याप्त धन              |
| 9.          | कार्यालय सह स्टोर भवन एसएमएस सुंदरनगर  | 78.99           | 78.99           | 78.99                 | 2013 से 2016-17                    | 0                                      | अपूर्ण                    |
| 10.         | कार्यालय सह आवासीय पौध पोषण प्रयोगशाला, थानेघार  | 92.85           | 74.85           | 74.85                 | 03/2014 से 04/2018                 | 18.00                                  | अपर्याप्त धन              |
| 11.         | कार्यालय एस.एम.एस. (एपीकल्चर), कांगड़ा   | 96.92           | 73.00           | 48.00                 | 10/2015 से 03/2019                 | 48.92                                  | अपर्याप्त धन              |
| 12.         | पीपीसी बन्नुना में कार्यालय सह आवासीय भवन  | 85.68           | 18.70           | 18.70                 | 08/2017 से 02/2019                 | 66.98                                  | अपर्याप्त धन              |
|             | <b>कुल (ख)</b>   | <b>673.65</b>   | <b>452.75</b>   | <b>403.66</b>         |                                    | <b>269.99</b>                          |                           |
|             | <b>कुल योग (क+ख)</b>   | <b>2,981.98</b> | <b>1,244.99</b> | <b>1,195.9</b>        |                                    | <b>1,787.84</b>                        |                           |

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

## परिशिष्ट- 2.5

( संदर्भ परिच्छेद 2.1.9.1; पृष्ठ 16 )

2014-19 के दौरान फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी में प्रयुक्त क्षेत्र, बागवानों को दिए गए प्रदर्शन, कर्मचारियों की स्थिति तथा सिंचाई सुविधा का विवरण

| क्रम संख्या | जिला    | पीसीडीओ/ नर्सरी | क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) |                                |                       | प्रदर्शनी हेतु पीसीडीयों में बागवानों का दौरा | स्टाफ की स्थिति |            | सिंचाई की सुविधा |
|-------------|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------|------------------|
|             |         |                 | कुल क्षेत्र              | नर्सरी के लिए प्रयुक्त क्षेत्र | पौधारोपण रहित क्षेत्र |   | एसएस            | पी.आई. पी. |                  |
| 1.          | कांगड़ा | जच              | 4.20                     | 1.00                           | 1.00                  | शून्य   | 12              | 05         | पर्याप्त         |
|             |         | पालमपुर         | 11.34                    | 3.00                           | 2.00                  | 155   | 07              | 06         | पर्याप्त         |
| 2.          | किन्नौर | बोकतु           | 4.72                     | 1.06                           | शून्य                 | 45  | 11              | 05         | अपर्याप्त        |
|             |         | गिआबूंग         | 4.40                     | 0.64                           | शून्य                 | शून्य   | 08              | 04         | पर्याप्त         |
|             |         | पूह             | 10.00                    | 0.80                           | 4.60                  | 120   | 09              | 05         | अपर्याप्त        |
| 3.          | शिमला   | बडागांव         | 3.16                     | 0.16                           | 1.16                  | 04  | 03              | 03         | अपर्याप्त        |
|             |         | चौपाल           | 8.45                     | शून्य                          | 6.20                  | शून्य   | 05              | 03         | अपर्याप्त        |
|             |         | कुमारसैन        | 1.44                     | शून्य                          | 0.72                  | शून्य   | 03              | 01         | अपर्याप्त        |
|             |         | राझना           | 1.60                     | शून्य                          | 0.60                  | शून्य   | 03              | 01         | अपर्याप्त        |
| 4.          | सोलन    | चैल             | 6.80                     | शून्य                          | 2.13                  | 95  | 05              | 03         | अपर्याप्त        |
|             |         | गौरा            | 2.33                     | 1.40                           | 0.64                  | 248   | 04              | 04         | पर्याप्त         |
|             |         | पट्टा मेहलोग    | 6.06                     | 0.40                           | 1.00                  | 290   | 07              | 05         | मौसमी            |
|             |         | <b>कुल</b>      | <b>64.50</b>             | <b>8.46</b>                    | <b>20.05</b>          | <b>957</b>                                    | <b>77</b>       | <b>45</b>  |                  |

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

**परिशिष्ट-2.6**

( संदर्भ परिच्छेद 2.1.14.1; पृष्ठ 22 )

**मार्च 2019 तक कीटनाशकों की खरीद, बिक्री तथा शेष का विवरण**


| एसपीपीओ शिमला के अभिलेखों के अनुसार |               |       |             |        |                              |        |             |        |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|--------|------------------------------|--------|-------------|--------|
| ( ₹ लाख में )                       |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| उप-निदेशक, उद्यान, शिमला            |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| वर्ष                                | प्रारंभिक शेष |       | जारी मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |        | अंत शेष     |        |
|                                     | किग्रा/लीटर   | मूल्य | किग्रा/लीटर | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य  | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15                             | 0             | 0.00  | 229152      | 884.04 | 225934                       | 869.88 | 3218        | 14.16  |
| 2015-16                             | 3218          | 14.16 | 236255      | 861.45 | 235113                       | 889.48 | 4360        | 21.36  |
| 2016-17                             | 4360          | 21.36 | 190827      | 866.96 | 185695                       | 849.83 | 9491        | 43.38  |
| 2017-18                             | 9491          | 43.38 | 200277      | 808.79 | 198060                       | 801.09 | 11708       | 51.07  |
| 2018-19                             | 11708         | 51.07 | 227212      | 876.88 | 143943                       | 540.11 | 94976       | 387.83 |
| उप-निदेशक, उद्यान, किन्नौर          |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| ( ₹ लाख में )                       |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| वर्ष                                | प्रारंभिक शेष |       | जारी मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |        | अंत शेष     |        |
|                                     | किग्रा/लीटर   | मूल्य | किग्रा/लीटर | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य  | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15                             | 0.00          | 0.00  | 25484       | 85.80  | 25484                        | 85.80  | 0.00        | 0.00   |
| 2015-16                             | 0.00          | 0.00  | 22451       | 97.98  | 22451                        | 97.98  | 0.00        | 0.00   |
| 2016-17                             | 0.00          | 0.00  | 26777       | 109.82 | 26096                        | 107.44 | 682         | 2.38   |
| 2017-18                             | 682           | 2.38  | 27671       | 123.39 | 26580                        | 114.73 | 1772        | 11.02  |
| 2018-19                             | 1772          | 11.02 | 26500       | 106.75 | 10957                        | 41.26  | 17315       | 76.50  |
| उप-निदेशक, उद्यान, सोलन             |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| ( ₹ लाख में )                       |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| वर्ष                                | प्रारंभिक शेष |       | जारी मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |        | अंत शेष     |        |
|                                     | किग्रा/लीटर   | मूल्य | किग्रा/लीटर | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य  | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15                             | 0.00          | 0.00  | 1620        | 4.62   | 1620                         | 4.62   | 0.00        | 0.00   |
| 2015-16                             | 0.00          | 0.00  | 1361        | 4.38   | 1361                         | 4.38   | 0.00        | 0.00   |
| 2016-17                             | 0.00          | 0.00  | 777         | 2.25   | 777                          | 2.25   | 0.05        | 0.00   |
| 2017-18                             | 0.05          | 0.00  | 1479        | 4.63   | 1312                         | 4.01   | 168         | 0.62   |
| 2018-19                             | 168           | 0.62  | 1226        | 3.95   | 128                          | 0.29   | 1265        | 4.28   |
| उप-निदेशक, उद्यान, कांगड़ा          |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| ( ₹ लाख में )                       |               |       |             |        |                              |        |             |        |
| वर्ष                                | प्रारंभिक शेष |       | जारी मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |        | अंत शेष     |        |
|                                     | किग्रा/लीटर   | मूल्य | किग्रा/लीटर | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य  | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15                             | 0             | 0.00  | 890         | 2.89   | 854                          | 2.79   | 36          | 0.10   |
| 2015-16                             | 36            | 0.10  | 780         | 2.70   | 771                          | 2.67   | 45          | 0.13   |
| 2016-17                             | 45            | 0.13  | 350         | 1.14   | 348                          | 1.14   | 47          | 0.14   |
| 2017-18                             | 47            | 0.14  | 815         | 2.63   | 763                          | 2.45   | 99          | 0.31   |
| 2018-19                             | 99            | 0.31  | 355         | 1.00   | 129                          | 0.34   | 325         | 0.97   |

स्रोत: विभागीय आंकड़े

| सम्बन्धित उप-निदेशक, उद्यान के अभिलेखों के अनुसार |               |        |                |        |                              |         |             |        |
|---|---------------|--------|----------------|--------|------------------------------|---------|-------------|--------|
| ( ₹ लाख में )                                     |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| उप-निदेशक, उद्यान, शिमला                          |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| वर्ष  | प्रारंभिक शेष |        | प्राप्त मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |         | अंत शेष     |        |
|   | किग्रा/लीटर   | मूल्य  | किग्रा/लीटर    | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य   | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15   | 86250         | 270.39 | 193784         | 945.75 | 187005                       | 795.93  | 75949       | 286.43 |
| 2015-16   | 75949         | 286.43 | 212842         | 843.88 | 199547                       | 794.06  | 70875       | 249.85 |
| 2016-17   | 70875         | 249.85 | 222206         | 849.05 | 199857                       | 1020.92 | 65741       | 283.98 |
| 2017-18   | 65741         | 283.98 | 234441         | 886.66 | 199110                       | 594.79  | 85593       | 323.44 |
| 2018-19   | 85593         | 323.44 | 271001         | 903.34 | 207700                       | 690.99  | 183410      | 508.36 |
| उप-निदेशक, उद्यान, किन्नौर                        |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| ( ₹ लाख में )                                     |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| वर्ष  | प्रारंभिक शेष |        | प्राप्त मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |         | अंत शेष     |        |
|   | किग्रा/लीटर   | मूल्य  | किग्रा/लीटर    | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य   | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15   | 0             | 0.00   | 35498          | 108.08 | 15898                        | 57.47   | 19600       | 50.61  |
| 2015-16   | 19600         | 50.61  | 22551          | 100.02 | 9848                         | 42.70   | 12703       | 57.32  |
| 2016-17   | 12703         | 57.32  | 26277          | 108.58 | 12695                        | 47.64   | 13582       | 60.94  |
| 2017-18   | 13582         | 60.94  | 27671          | 122.52 | 10417                        | 40.87   | 17254       | 81.65  |
| 2018-19   | 17254         | 81.65  | 34212          | 140.00 | 11690                        | 48.24   | 22522       | 91.76  |
| उप-निदेशक, उद्यान, सोलन                           |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| ( ₹ लाख में )                                     |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| वर्ष  | प्रारंभिक शेष |        | प्राप्त मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |         | अंत शेष     |        |
|   | किग्रा/लीटर   | मूल्य  | किग्रा/लीटर    | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य   | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15   | 3             | 0.006  | 1250           | 3.00   | 1220                         | 2.95    | 33          | 0.06   |
| 2015-16   | 33            | 0.06   | 1710           | 4.86   | 1707                         | 4.82    | 36          | 0.10   |
| 2016-17   | 36            | 0.10   | 1259           | 4.09   | 1295                         | 4.20    | 0           | 0.00   |
| 2017-18   | 0             | 0.00   | 777            | 2.25   | 711                          | 2.11    | 65          | 0.15   |
| 2018-19   | 65            | 0.15   | 1279           | 4.25   | 1196                         | 3.84    | 149         | 0.56   |
| उप-निदेशक, उद्यान, कांगड़ा                        |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| ( ₹ लाख में )                                     |               |        |                |        |                              |         |             |        |
| वर्ष  | प्रारंभिक शेष |        | प्राप्त मात्रा |        | डीडीएच द्वारा बेची गई मात्रा |         | अंत शेष     |        |
|   | किग्रा/लीटर   | मूल्य  | किग्रा/लीटर    | मूल्य  | किग्रा/लीटर                  | मूल्य   | किग्रा/लीटर | मूल्य  |
| 2014-15   | 11            | 0.03   | 1030           | 4.21   | 1027                         | 4.19    | 3           | 0.01   |
| 2015-16   | 3             | 0.01   | 780            | 3.36   | 779                          | 3.35    | 1           | 0.003  |
| 2016-17   | 1             | 0.003  | 350            | 1.53   | 348                          | 1.52    | 2           | 0.005  |
| 2017-18   | 2             | 0.005  | 715            | 2.99   | 701                          | 2.93    | 14          | 0.06   |
| 2018-19   | 14            | 0.06   | 343            | 1.37   | 204                          | 0.77    | 139         | 0.60   |

## परिशिष्ट-2.7


( संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 26 )  
विभिन्न चरणों में ठोस कचरे के संचालन को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट



परिशिष्ट-2.8

( संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 26 )

ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु जवाबदेही रूपरेखा को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट



## परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.15; पृष्ठ 47-48)

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरे के प्रबंधन की सारांशित स्थिति

| स्थानीय निकाय | संग्रहण  |                                   |               |                              | पुनःचक्रण/<br>मेटेरियल<br>रिकवरी | धुलाई                                      | प्रसंस्कारण     | निपटन    |
|---------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|----------|
|               | कचरे का घर-घर संग्रहण  | सासुदायिक/आधुनिक<br>भूमिगत डिब्बे | कचरे का कैलाव | उपभोग्यता शुल्कों का संग्रहण |                                  |  |                 |          |
| बही           |  | टूटे हुए, ओवरफ्लो, बिना ढके       | हां           | असंग्रहण                     | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | कोई नहीं        | कोई नहीं |
| बैजनाथ पपरोला |  | कोई नहीं                          | हां           | असंग्रहण                     | कोई नहीं                         | कोई नहीं                                   | कोई नहीं        | कोई नहीं |
| बिलासपुर      |  | कोई नहीं                          | हां           | आंकलन किए बिना संग्रहण       | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | अकार्यशील       | कोई नहीं |
| चंबा          | यद्यपि, लाभार्थी सर्वेक्षण के अनुसार घर-घर संग्रहण संतोषजनक सूचित किया गया तथापि निर्धारित समय सारणी के अनुसार कचरा संग्रहण हेतु कोई रिपोर्टिंग तंत्र सुनिश्चित नहीं किया गया। | टूटे हुए, ओवर फ्लो, बिना ढके      | हां           | असंग्रहण                     | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | अकार्यशील       | कोई नहीं |
| धर्मशाला      |  | टूटे हुए, ओवर फ्लो, बिना ढके      | हां           | असंग्रहण                     | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | अकार्यशील       | कोई नहीं |
| हमीरपुर       |  | कोई नहीं                          | नहीं          | आंकलन किए बिना संग्रहण       | स्रोत पर                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | आंशिक कार्याशील | कोई नहीं |
| ज्वाली        |  | बिना ढके                          | हां           | असंग्रहण                     | कोई नहीं                         | कोई नहीं                                   | कोई नहीं        | कोई नहीं |
| कुल्लू        |  | बिना ढके                          | हां           | आंकलन किए बिना संग्रहण       | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | आंशिक कार्याशील | कोई नहीं |
| मण्डी         |  | बिना ढके                          | हां           | आंकलन किए बिना संग्रहण       | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | कोई नहीं        | कोई नहीं |
| नाहन          |  | टूटे हुए, ओवर फ्लो, बिना ढके      | हां           | आंकलन किए बिना अल्प संग्रहण  | कोई नहीं                         | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर | आंशिक कार्याशील | कोई नहीं |

डम्प स्थल पर खुले में कचरा डालना

गली अथवा वाई स्तर पर द्वितीयक भंडारण सुविधा का न होना

73 प्रतिशत वाहन बिना ढके थे; 99 प्रतिशत वाहनों में अलग किए कचरे के संचालन हेतु उपकरण नहीं थे

|           |                               |     |                             |          |  |  |  |           |           |
|-----------|-------------------------------|-----|-----------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------|
| नेरचौक    | कोई नहीं                      | हां | आंकलन किए बिना संग्रहण      | कोई नहीं | कोई नहीं                                   |  |  | कोई नहीं  | कोई नहीं  |
| पांवटा    | टूटे हुए, ओवर फर्रो, बिना ढके | हां | आंकलन किए बिना संग्रहण      | कोई नहीं | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर |  |  | कोई नहीं  | कोई नहीं  |
| शिमला     | टूटे हुए, ओवर फर्रो, बिना ढके | हां | आंकलन किए बिना संग्रहण      | कोई नहीं | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर |  |  | कोई नहीं  | अकार्यशील |
| सोलन      | कोई नहीं                      | हां | आंकलन किए बिना अल्प संग्रहण | कोई नहीं | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर |  |  | अकार्यशील | कोई नहीं  |
| सुन्दरनगर | टूटे हुए, ओवर फर्रो, बिना ढके | हां | आंकलन किए बिना संग्रहण      | कोई नहीं | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर |  |  | कोई नहीं  | कोई नहीं  |
| ऊना       | बिना ढके                      | हां | आंकलन किए बिना संग्रहण      | कोई नहीं | कोई सुविधा नहीं; आंशिक रूप से डम्प स्थल पर |  |  | अकार्यशील | कोई नहीं  |

## परिशिष्ट-2.10

( संदर्भ परिच्छेद 2.2.15; पृष्ठ 48 )

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सेवा स्तर मानदण्डों की प्राप्ति

| सूचकांक                          | घरों के स्तर पर सम्मिलित किए गए | ठोस कचरे के संग्रहण में दक्षता | ठोस कचरा प्रबंधन शुल्कों के संग्रहण में दक्षता | अधिकतम अलग किया ठोस कचरा प्रबंधन ( नगरीय ठोस कचरा ) | नगरीय ठोस कचरे के पृथक्करण की सीमा | ठोस कचरा प्रबंधन का अधिकतम निपटान |    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| सेवा स्तर मानदण्ड<br>( प्रतिशत ) | 100                             | 100                            | 90   | 100   | 80                                 | 100                               |    |
| क्रमांक संख्या                   | शहरी स्थानीय निकाय ( वर्ष )     | उपलब्धियां ( प्रतिशत )         |  |   |                                    |                                   |    |
| 1                                | बढ़ी<br>( 2018-19 )             | 80                             | 76   | 10  | 35                                 | 18                                | 75 |
| 2                                | बैजनाथ-पपरोला*                  | -                              | -  | -   | -                                  | -                                 | -  |
| 3                                | बिलासपुर<br>( 2017-18 )         | 100                            | 85.7   | 0   | 0                                  | 0                                 | 0  |
| 4                                | चम्बा*                          | -                              | -  | -   | -                                  | -                                 | -  |
| 5                                | धर्मशाला<br>( 2018-19 )         | 0                              | 25.33  | 61.18   | 18.21                              | 11.35                             | 0  |
| 6                                | हमीरपुर<br>( 2018-19 )          | 32.1                           | 89.5   | 21  | 58                                 | 12                                | 0  |
| 7                                | ज्वाली*                         | -                              | -  | -   | -                                  | -                                 | -  |
| 8                                | कुल्लू<br>( 2018-19 )           | 99.79                          | 86.78  | 0   | 73.33                              | 93.33                             | 0  |
| 9                                | मण्डी<br>( 2018-19 )            | 90                             | 90   | 70  | 90                                 | 20                                | 80 |
| 10                               | नाहन<br>( 2018-19 )             | 85                             | 55   | 0   | 50                                 | 100                               | 75 |
| 11                               | नेर चौक<br>( 2018-19 )          | 12                             | 98   | 0   | 0                                  | 0                                 | 0  |
| 12                               | पांवटा*                         | -                              | -  | -   | -                                  | -                                 | -  |
| 13                               | शिमला<br>( 2018-19 )            | 95                             | 90   | 85  | 70                                 | 90                                | 80 |
| 14                               | सोलन<br>( 2018-19 )             | 100                            | 100  | 90  | 60                                 | 80                                | 90 |
| 15                               | सुन्दरनगर<br>( 2017-18 )        | 10.8                           | 90   | 30  | 80                                 | 80                                | 70 |
| 16                               | ऊना*                            | -                              | -  | -   | -                                  | -                                 | -  |

स्त्रोत: शहरी विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

\* डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-3.1

( सन्दर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52 )

सम्बन्धित अभिलेखों का चित्रित उदाहरण

H.P.U. COPY  
H.P. UNIVERSITY, SHIMLA  
State Bank of India  
Summer Hill, Shimla-5  
(To be filled in by candidates)

Date 4/12/2011

Name of the candidate: Babu Ram

Address: 12602 H.P.O.S.I. Shimla

Class: \_\_\_\_\_ Roll No. \_\_\_\_\_ Deptt. \_\_\_\_\_

Fee deposited for: Bank of Proprietor

Purpose Code: 01320

Amount (in Figures) Rs. 4000

| Particulars of Amount tendered Rupees |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| x 1000 each                           |  |  |  |
| x 500 each                            |  |  |  |
| x 100 each                            |  |  |  |
| x 50 each                             |  |  |  |
| x 20 each                             |  |  |  |
| x 10 each                             |  |  |  |
| x 5 each                              |  |  |  |
| x 2 each                              |  |  |  |
| x 1 each                              |  |  |  |
| Total                                 |  |  |  |
| Less Return                           |  |  |  |
| Net Amount                            |  |  |  |

(In words) Rupees \_\_\_\_\_

(Signature of Depositor) \_\_\_\_\_

Receipt No. \_\_\_\_\_

Rupees \_\_\_\_\_

(Signature of Bank Cashier) \_\_\_\_\_

Himachal Pradesh University - Fee Collection Centre  
Receipts Details

| Sl. No.     | Name                   | Amount | Centre |
|-------------|------------------------|--------|--------|
| 2007-021525 | ARCHANA SHARMA         | 3000   | COMP1  |
| 2007-021526 | TARUNA SHARMA          | 2000   | COMP1  |
| 2007-021527 | LALITA SHARMA          | 2000   | COMP1  |
| 2007-021528 | SARAYWANA              | 2000   | COMP1  |
| 2007-021529 | DAVA DOBBA             | 2000   | COMP1  |
| 2007-021530 | MEGHNA                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021531 | BHIMADEVI              | 2000   | COMP1  |
| 2007-021532 | SUMAN BALA             | 2000   | COMP1  |
| 2007-021533 | SANJEEV                | 2000   | COMP1  |
| 2007-021534 | HEMANI                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021535 | SHY DAYAL              | 2000   | COMP1  |
| 2007-021536 | MANOJ SHARMA           | 2000   | COMP1  |
| 2007-021537 | ANITA KUMARI           | 2000   | COMP1  |
| 2007-021538 | SURENDER SINGH         | 2000   | COMP1  |
| 2007-021539 | DIKHA                  | 2000   | COMP1  |
| 2007-021540 | POORAM                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021541 | CHARI MAN LAKSHY SINGH | 2000   | COMP1  |
| 2007-021542 | BAKESH                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021543 | HEMALATA               | 2000   | COMP1  |
| 2007-021544 | HANJANA JAWAHL         | 2000   | COMP1  |
| 2007-021545 | ABHIN MEHTA            | 2000   | COMP1  |
| 2007-021546 | SADHVI                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021547 | ABHINAV RATA           | 2000   | COMP1  |
| 2007-021548 | VIRENDER KUMAR         | 2000   | COMP1  |
| 2007-021549 | RANDEEP KUMAR          | 2000   | COMP1  |
| 2007-021550 | RAM KUMARI             | 2000   | COMP1  |
| 2007-021551 | AFROVIA THAKUR         | 2000   | COMP1  |
| 2007-021552 | VIRENDER KUMAR         | 2000   | COMP1  |
| 2007-021553 | SUREKHA DEVI           | 2000   | COMP1  |
| 2007-021554 | SHEETAL                | 2000   | COMP1  |
| 2007-021555 | AVEL SHARMA HPU        | 2000   | COMP1  |
| 2007-021556 | BABURAM HPU            | 2000   | COMP1  |
| 2007-021557 | BABURAM HPU            | 2000   | COMP1  |
| 2007-021558 | HARVADARANI            | 2000   | COMP1  |
| 2007-021559 | SHIKHA                 | 2000   | COMP1  |
| 2007-021560 | ENQUIRY SECTION HPU    | 2000   | COMP1  |

Total Fee Collected: 117717

विश्वविद्यालय की चालान की प्रति: ₹ 4,000 के रूप में जमा राशि दिखाई गई है। '4' और तीन '0' के बीच में अतिरिक्त जगह देखा जा सकती है। राशि शब्दों में नहीं भरी गई है।

बैंक विवरण: इंगित की गई मद ₹ 4,000 की राशि को जमा हुई दर्शाती है।

DEPOSITOR'S COPY  
H.P. UNIVERSITY, SHIMLA  
State Bank of India  
Summer Hill, Shimla-5  
(To be filled in by candidates)

Date 4/17/2011

Name of the candidate: Babu Ram

Address: 12602 H.P.O.S.I. Shimla

Class: \_\_\_\_\_ Roll No. \_\_\_\_\_ Deptt. \_\_\_\_\_

Fee deposited for: Bank of Proprietor

Purpose Code: 01320

Amount (in Figures) Rs. 40000

| Particulars of Amount tendered Rupees |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| x 1000 each                           |  |  |  |
| x 500 each                            |  |  |  |
| x 100 each                            |  |  |  |
| x 50 each                             |  |  |  |
| x 20 each                             |  |  |  |
| x 10 each                             |  |  |  |
| x 5 each                              |  |  |  |
| x 2 each                              |  |  |  |
| x 1 each                              |  |  |  |
| Total                                 |  |  |  |
| Less Return                           |  |  |  |
| Net Amount                            |  |  |  |

(In words) Rupees \_\_\_\_\_

(Signature of Depositor) \_\_\_\_\_

Receipt No. \_\_\_\_\_

Rupees \_\_\_\_\_

(Signature of Bank Cashier) \_\_\_\_\_

Register of sale of prospectus

| Sl. No. | Name  | Date    | Amount |
|---------|-------|---------|--------|
| 1       | 21552 | 4-2-11  | 40000  |
| 2       | 21553 | 4-2-11  | 40000  |
| 3       | 22518 | 11-2-11 | 16000  |
| 4       | 22664 | 18-2-11 | 40000  |
| 5       | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 6       | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 7       | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 8       | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 9       | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 10      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 11      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 12      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 13      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 14      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 15      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 16      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 17      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 18      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 19      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 20      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 21      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 22      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 23      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 24      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 25      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 26      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 27      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 28      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 29      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |
| 30      | 22779 | 18-2-11 | 16000  |

जमाकर्ता की चालान की प्रति: ₹ 40,000 के रूप में जमा राशि दिखाई गई है; अतिरिक्त '0' बाद में जोड़ा गया है। राशि शब्दों में नहीं भरी गई है।

प्रोस्पेक्टस की बिक्री का रजिस्टर: पहली इंगित की गई मद ₹ 40,000 की राशि को जमा हुई दर्शाती है।

## परिशिष्ट-3.2

(सन्दर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा  
यू0जी0/पी0जी0/बी0एड0/एम0एड0 प्रोस्पेक्टस की बिक्री की रसीदों के प्रति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के  
बैंक खाते में कम जमा की गई राशि का विवरण

यू0जी0/पी0जी0 शैक्षणिक वर्ष 2011-12

(राशि ₹ में)

| क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर क्रम संख्या | बैंक रसीद संख्या | दिनांक     | फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि | बिक्री आय का कम जमा |
|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| 1.   | 2.               | 3.         | 4.   | 5.   | 6.                  |
| 1/166                                      | 21557            | 04.07.2011 | 40,000   | 4,000  | 36,000              |
| 2/184                                      | 21725            | 06.07.2011 | 40,600   | 4,600  | 36,000              |
| 3/199                                      | 22518            | 11.07.2011 | 16,000   | 6,000  | 10,000              |
| 4/209                                      | 22634            | 12.07.2011 | 40,000   | 4,000  | 36,000              |
| 5/220                                      | 22278            | 13.07.2011 | 13,600   | 3,600  | 10,000              |
| 6/247                                      | 22719            | 18.07.2011 | 50,000   | 5,000  | 45,000              |
| 7/329                                      | 23248            | 23.07.2011 | 20,200   | 2,200  | 18,000              |
| 8/481                                      | 23944            | 30.07.2011 | 14,800   | 4,800  | 10,000              |
| 9/611                                      | 4755             | 03.08.2011 | 70,000   | 7,000  | 63,000              |
| 10/763                                     | 24840            | 09.08.2011 | 70,000   | 7,000  | 63,000              |
| 11/784                                     | 25006            | 10.08.2011 | 60,000   | 6,000  | 54,000              |
| 12/837                                     | 25325            | 16.08.2011 | 17,000   | 7,000  | 10,000              |
| 13/858                                     | 5226             | 17.08.2011 | 80,000   | 8,000  | 72,000              |
| 14/886                                     | 25359            | 18.08.2011 | 60,000   | 6,000  | 54,000              |
| 15/902                                     | 5555             | 19.08.2011 | 40,000   | 4,000  | 36,000              |
| 16/939                                     | 25961            | 25.08.2011 | 70,000   | 7,000  | 63,000              |
| 17/968                                     | 26133            | 26.08.2011 | 40,600   | 4,600  | 36,000              |
| 18/1003                                    | 26425            | 29.08.2011 | 40,000   | 4,000  | 36,000              |
| 19/1048                                    | 26750            | 01.09.2011 | 18,000   | 8,000  | 10,000              |
| 20/1114                                    | 27019            | 03.09.2011 | 19,000   | 9,000  | 10,000              |
| 21/1193                                    | 27389            | 06.09.2011 | 17,800   | 7,800  | 10,000              |
| 22/1272                                    | 27559            | 07.09.2011 | 17,000   | 7,000  | 10,000              |
| 23/1453                                    | 27927            | 09.09.2011 | 18,000   | 8,000  | 10,000              |
| 24/1486                                    | 28111            | 12.09.2011 | 14,200   | 4,200  | 10,000              |
| 25/1487                                    | 6227             | 13.09.2011 | 60,600   | 6,600  | 54,000              |
| 26/1502                                    | 6414             | 14.09.2011 | 18,000   | 8,000  | 10,000              |
| 27/1720                                    | 29777            | 16.09.2011 | 40,000   | 4,000  | 36,000              |
| 28/1739                                    | 6835             | 17.09.2011 | 20,600   | 2,600  | 18,000              |
| 29/1750                                    | 7045             | 19.09.2011 | 50,200   | 5,200  | 45,000              |
| 30/1777                                    | 7118             | 20.09.2011 | 14,800   | 4,800  | 10,000              |
| 31/1800                                    | 28471            | 21.09.2011 | 13,200   | 3,200  | 10,000              |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदेन - सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र ( गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम )

| 1.                                  | 2.     | 3.         | 4.               | 5.              | 6.               |
|-------------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 32/1819                             | 28657  | 22.09.2011 | 20,800           | 2,800           | 18,000           |
| 33/1930                             | 29232  | 27.09.2011 | 13,600           | 3,600           | 10,000           |
| 34/1946                             | 29418  | 28.09.2011 | 30,400           | 3,400           | 27,000           |
| 35/2007                             | 29871  | 03.10.2011 | 18,000           | 8,000           | 10,000           |
| 36/2060                             | 8297   | 05.10.2011 | 60,500           | 6,500           | 54,000           |
| 37/2180                             | 8791   | 12.10.2011 | 12,200           | 2,200           | 10,000           |
| 38/2191                             | 30440  | 13.10.2011 | 16,000           | 6,000           | 10,000           |
| 39/2204                             | 30606  | 14.10.2011 | 13,200           | 3,200           | 10,000           |
| 40/2285                             | 31090  | 19.10.2011 | 71,000           | 7,000           | 64,000           |
| 41/2324                             | 31221  | 20.10.2011 | 61,200           | 6,200           | 55,000           |
| 42/2362                             | 31502  | 24.10.2011 | 14,200           | 4,200           | 10,000           |
| 43/2488                             | 10312  | 14.11.2011 | 10,800           | 1,800           | 9,000            |
| 44/2495                             | 31947  | 16.11.2011 | 20,200           | 2,200           | 18,000           |
| 45/2502                             | 32485  | 21.11.2011 | 10,600           | 1,600           | 9,000            |
| 46/2503                             | 36499  | 23.11.2011 | 15,200           | 5,200           | 10,000           |
| 47/2509                             | 33783  | 02.12.2011 | 20,600           | 2,600           | 18,000           |
| 48/2511                             | 34241  | 07.12.2011 | 10,800           | 1,800           | 9,000            |
| 49/2537                             | 35442  | 20.12.2011 | 40,200           | 4,200           | 36,000           |
| 50/2565                             | 35753  | 22.12.2011 | 30,600           | 3,600           | 27,000           |
| 51/2580                             | 035927 | 23.12.2011 | 12,800           | 2,800           | 10,000           |
| 52/2607                             | 36190  | 26.12.2011 | 14,200           | 4,200           | 10,000           |
| 53/2646                             | 36501  | 28.12.2011 | 18,200           | 8,200           | 10,000           |
| 54/2732                             | 37557  | 06.01.2012 | 50,600           | 5,600           | 45,000           |
| 55/3196                             | 733    | 27.01.2012 | 13,500           | 3,500           | 10,000           |
| 56/3001<br>दी गई गलत क्रम<br>संख्या | 6208   | 21.03.2012 | 11,400           | 1,400           | 10,000           |
| 57/3916                             | 6269   | 27.03.2012 | 11,600           | 1,600           | 10,000           |
| 58/46                               | 9704   | 23.04.2012 | 19,000           | 9,000           | 10,000           |
|                                     |        | <b>योग</b> | <b>17,45,600</b> | <b>2,85,600</b> | <b>14,60,000</b> |

बी0एड0/एम0एड0 शैक्षणिक वर्ष 2011-2012

| क्रम<br>संख्या/फीस<br>संग्रह रजिस्टर<br>क्रम संख्या | बैंक रसीद<br>संख्या | दिनांक     | फीस रसीद की प्रति के<br>अनुसार विश्वविद्यालय के<br>खाते में जमा राशि का<br>दावा ( जमाकर्ता की<br>प्रति ), श्री बाबू राम द्वारा<br>प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से<br>सीधे तौर पर प्राप्त की गई<br>फीस रसीद की प्रति<br>( विश्वविद्यालय की प्रति )<br>के अनुसार विश्वविद्यालय<br>के बैंक खाते में वास्तविक<br>जमाराशि | बिक्री आय का<br>कम जमा |
|---|---------------------|------------|---|---|------------------------|
| 1/87  | 17248               | 30.04.2011 | 20,100  | 2,100   | 18,000                 |
| 2/102   | 17921               | 09.05.2011 | 30,600  | 3,600   | 27,000                 |
| 3/146   | 21320               | 30.06.2011 | 10,200  | 1,200   | 9,000                  |
|   |                     | <b>योग</b> | <b>60,900</b>   | <b>6,900</b>  | <b>54,000</b>          |

## यू0जी0/पी0जी0 शैक्षणिक वर्ष 2012-13

| क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर का क्रम संख्या | बैंक रसीद संख्या | दिनांक     | फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा ( जमाकर्ता की प्रति ), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति ( विश्वविद्यालय की प्रति ) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि | बिक्री आय का कम जमा |
|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| 1/85  | 17468            | 18.07.2012 | 15,400   | 5,400  | 10,000              |
| 2/291   | 12395            | 19.07.2012 | 1,11,200   | 1,200  | 1,10,000            |
| 3/376   | 18208            | 26.07.2012 | 14,000   | 4,000  | 10,000              |
| 4/564   | 18937            | 02.08.2012 | 15,000   | 5,000  | 10,000              |
| 5/659   | 14274            | 06.08.2012 | 19,000   | 9,000  | 10,000              |
| 6/660   | 14454            | 07.08.2012 | 1,00,000   | 10,000   | 90,000              |
| 7/665   | 14618            | 08.08.2012 | 19,600   | 9,600  | 10,000              |
| 8/681   | 14806            | 09.08.2012 | 1,15,000   | 5,000  | 1,10,000            |
| 9/746   | 14595            | 24.08.2012 | 1,11,000   | 11,000   | 1,00,000            |
| 10/807  | 17377            | 03.09.2012 | 80,000   | 8,000  | 72,000              |
| 11/830  | 15941            | 04.09.2012 | 17,600   | 7,600  | 10,000              |
| 12/849  | 16122            | 05.09.2012 | 16,400   | 6,400  | 10,000              |
| 13/950  | 16963            | 11.09.2012 | 16,000   | 6,000  | 10,000              |
| 14/956  | 17157            | 12.09.2012 | 13,400   | 3,400  | 10,000              |
| 15/968  | 17370            | 13.09.2012 | 16,600   | 6,600  | 10,000              |
| 16/974  | 17522            | 14.09.2012 | 13,800   | 3,800  | 10,000              |
| 17/1067                                       | 000369           | 25.09.2012 | 19,000   | 9,000  | 10,000              |
| 18/1086                                       | 21660            | 27.09.2012 | 1,10,600   | 10,600   | 1,00,000            |
| 19/1098                                       | 21867            | 28.09.2012 | 12,200   | 2,200  | 10,000              |
| 20/1109                                       | 22092            | 01.10.2012 | 15,200   | 5,200  | 10,000              |
| 21/1117                                       | 22314            | 03.10.2012 | 16,000   | 6,000  | 10,000              |
| 22/1150                                       | 22539            | 04.10.2012 | 70,200   | 7,200  | 63,000              |
| 23/1226                                       | 23014            | 08.10.2012 | 15,000   | 5,000  | 10,000              |
| 24/1234                                       | 23232            | 09.10.2012 | 14,000   | 4,000  | 10,000              |
| 25/1262                                       | 23950            | 15.10.2012 | 1,20,500   | 2,500  | 1,18,000            |
| 26/1273                                       | 24180            | 17.10.2012 | 12,200   | 2,200  | 10,000              |
| 27/1322                                       | 24943            | 25.10.2012 | 13,200   | 3,200  | 10,000              |
| 28/1363                                       | 25716            | 02.11.2012 | 12,400   | 2,400  | 10,000              |
| 29/1442                                       | 23721            | 27.11.2012 | 1,12,500   | 2,500  | 1,10,000            |
| 30/1448                                       | 28767            | 29.11.2012 | 1,11,600   | 1,600  | 1,10,000            |
| 31/1460                                       | 29400            | 04.12.2012 | 10,800   | 1,800  | 9,000               |
| 32/1516                                       | 30401            | 13.12.2012 | 1,12,200   | 2,200  | 11,0,000            |
| 33/1539                                       | 30523            | 14.12.2012 | 11,400   | 1,400  | 10,000              |
| 34/1624                                       | 31113            | 19.12.2012 | 13,000   | 3,000  | 10,000              |
| 35/1649                                       | 31282            | 20.12.2012 | 1,11,500   | 1,500  | 1,10,000            |
| 36/1671                                       | 31460            | 21.12.2012 | 11,600   | 1,600  | 10,000              |
| 37/1879                                       | 32502            | 29.12.2012 | 20,000   | 2,000  | 18,000              |
| 38/1974                                       | 32895            | 01.01.2013 | 30,000   | 3,000  | 27,000              |
| 39/2223                                       | 26971            | 09.01.2013 | 13,600   | 3,600  | 10,000              |
| 40/2852                                       | 27923            | 28.01.2013 | 12,600   | 2,600  | 10,000              |
| 41/2953                                       | 28274            | 01.02.2013 | 11,200   | 1,200  | 10,000              |
| 42/उपलब्ध नहीं                                | 39140            | 28.03.2013 | 1,11,500   | 1,500  | 1,10,000            |
| 43/64   | 35577            | 24.04.2013 | 1,10,400   | 400  | 1,10,000            |
| 44/71   | 35725            | 25.04.2013 | 11,800   | 1,800  | 10,000              |
| 45/82   | 36034            | 29.04.2013 | 11,400   | 1,400  | 10,000              |
|   |                  | <b>योग</b> | <b>19,51,600</b>   | <b>1,94,600</b>  | <b>17,57,000</b>    |

**बी0एड0/एम0एड0 शैक्षणिक वर्ष 2012-13**

| क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर क्रम संख्या | बैंक रसीद संख्या | दिनांक     | फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा ( जमाकर्ता की प्रति ), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति ( विश्वविद्यालय की प्रति ) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि | बिक्री आय का कम जमा |
|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| 1/55                                       | 10820            | 25.04.2012 | 13,600   | 3,600  | 10,000              |
| 2/60                                       | 9996             | 26.04.2012 | 12,700   | 2,700  | 10,000              |
| 3/86                                       | 10653            | 03.05.2012 | 11,800   | 1,800  | 10,000              |
| 4/उपलब्ध नहीं                              | 17200            | 17.07.2012 | 12,000   | 0  | 12,000              |
|  |                  | <b>योग</b> | <b>50,100</b>  | <b>8,100</b>   | <b>42,000</b>       |

**यू0जी0/पी0जी0 शैक्षणिक वर्ष 2013-14**

| क्रम संख्या | बैंक रसीद संख्या | दिनांक                    | फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा ( जमाकर्ता की प्रति ), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति ( विश्वविद्यालय की प्रति ) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि | बिक्री आय का कम जमा |
|-------------|------------------|---------------------------|--|--|---------------------|
| 1.          | 46909            | 19.08.2013                | 1,30,000   | 30,000   | 1,00,000            |
| 2.          | 52374            | 20.08.2013                | 1,60,000   | 60,000   | 1,00,000            |
| 3.          | 47115            | 21.08.2013                | 1,38,000   | 38,000   | 1,00,000            |
| 4.          | 48147            | 29.08.2013                | 1,56,500   | 56,500   | 1,00,000            |
| 5.          | 49242            | 04.09.2013                | 1,49,000   | 49,000   | 1,00,000            |
| 6.          | 50540            | 10.09.2013                | 1,50,000   | 50,000   | 1,00,000            |
| 7.          | 51337            | 16.09.2013                | 1,15,000   | 15,000   | 1,00,000            |
| 8.          | 52040            | 18.09.2013                | 1,11,000   | 11,000   | 1,00,000            |
| 9.          | 52281            | 19.09.2013                | 1,07,000   | 7,000  | 1,00,000            |
| 10.         | 52637            | 20.09.2013                | 1,10,600   | 10,600   | 1,00,000            |
| 11.         | 54093            | 27.09.2013                | 1,18,000   | 18,000   | 1,00,000            |
| 12.         | 57689            | 30.09.2013/<br>01.10.2013 | 1,13,000   | 13,000   | 1,00,000            |
| 13.         | 57933            | 04.10.2013                | 1,18,000   | 8,000  | 1,10,000            |
| 14.         | 58241            | 08.10.2013                | 1,06,000   | 6,000  | 1,00,000            |
| 15.         | 56185            | 11.10.2013                | 1,10,500   | 1,500  | 1,09,000            |
| 16.         | 56543            | 15.10.2013                | 1,02,700   | 2,700  | 1,00,000            |
| 17.         | 57205            | 22.10.2013                | 1,20,400   | 2,400  | 1,18,000            |
| 18.         | 27247            | 05.02.2014                | 1,10,200   | 1,200  | 1,09,000            |
| 19.         | 64357            | 26.02.2014                | 20,600   | 2,600  | 18,000              |
|             |                  | <b>योग</b>                | <b>22,46,500</b>   | <b>3,82,500</b>  | <b>18,64,000</b>    |

## यू0जी0/पी0जी0 शैक्षणिक वर्ष 2014-18

| क्रम संख्या | बैंक रसीद संख्या                         | दिनांक                        | फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा ( जमाकर्ता की प्रति ), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया | बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति ( विश्वविद्यालय की प्रति ) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि | विक्री आय का कम जमा |
|-------------|--|-------------------------------|--|--|---------------------|
| 1.          | 2.                                       | 3.                            | 4.   | 5.   | 6.                  |
| 1.          | 70523                                    | 25.07.2014                    | 1,26,000   | 26,000   | 1,00,000            |
| 2.          | 71311                                    | 30.07.2014                    | 1,32,000   | 32,000   | 1,00,000            |
| 3.          | 71764/71762                              | 01.08.2014                    | 1,24,000   | 24,000   | 1,00,000            |
| 4.          | 707                                      | 06.08.2014                    | 1,23,000   | 23,000   | 1,00,000            |
| 5.          | 834                                      | 07.08.2014                    | 1,31,000   | 31,000   | 1,00,000            |
| 6.          | 72691                                    | 08.08.2014                    | 1,22,000   | 22,000   | 1,00,000            |
| 7.          | 72907                                    | 11.08.2014                    | 1,36,000   | 36,000   | 1,00,000            |
| 8.          | 73395/ ( फीस पंजीयन क्रम संख्या 445 )    | 14.08.2014                    | 1,37,000   | 37,000   | 1,00,000            |
| 9.          | 74496                                    | 27.08.2014                    | 1,33,000   | 33,000   | 1,00,000            |
| 10.         | 74608                                    | 28.08.2014                    | 1,41,000   | 41,000   | 1,00,000            |
| 11.         | 74827                                    | 29.08.2014                    | 1,36,000   | 36,000   | 1,00,000            |
| 12.         | 3844                                     | 03.09.2014                    | 1,06,000   | 6,000  | 1,00,000            |
| 13.         | 75857                                    | 11.09.2014                    | 1,15,000   | 15,000   | 1,00,000            |
| 14.         | 76055                                    | 12.09.2014                    | 1,11,000   | 11,000   | 1,00,000            |
| 15.         | 76577                                    | 17.09.2014                    | 1,12,000   | 12,000   | 1,00,000            |
| 16.         | 79028                                    | 24.09.2014                    | 1,09,600   | 9,600  | 1,00,000            |
| 17.         | 79166                                    | 25.09.2014                    | 1,08,000   | 8,000  | 1,00,000            |
| 18.         | 1313                                     | 26.09.2014                    | 13,500   | 3,500  | 10,000              |
| 19.         | 80137                                    | 10.10.2014                    | 1,13,000   | 3,000  | 1,10,000            |
| 20.         | 92028                                    | 29.12.2014                    | 1,03,600   | 3,600  | 1,00,000            |
| 21.         | 93093                                    | 08.01.2015                    | 1,12,000   | 2,000  | 1,10,000            |
| 22.         | 93709/9379 ( फीस पंजीयन क्रम संख्या 31 ) | 16.01.2015                    | 1,02,100   | 2,100  | 1,00,000            |
| 23.         | 95513                                    | 06.02.2015                    | 1,01,750   | 1,750  | 1,00,000            |
| 24.         | 95766                                    | 09.02.2015                    | 1,01,750   | 1,750  | 1,00,000            |
| 25.         | 5031                                     | 19.02.2015                    | 12,800   | 2,800  | 10,000              |
| 26.         | 5212                                     | 20.02.2015                    | 1,02,800   | 2,800  | 1,00,000            |
| 27.         | 6693/6653                                | 02.03.2015                    | 1,02,100   | 2,100  | 1,00,000            |
| 28.         | 8199                                     | 16.03.2015                    | 11,400   | 1,400  | 10,000              |
|             |  | <b>उप-योग<br/>( 2014-15 )</b> | <b>29,79,400</b>   | <b>4,29,400</b>  | <b>25,50,000</b>    |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदेन - सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र ( गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम )

| 1.  | 2.          | 3.   | 4.                 | 5.               | 6.                 |
|-----|-------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | 5671        | 23.07.2015                                   | 1,80,000           | 80,000           | 1,00,000           |
| 2.  | 21318       | 25.07.2015                                   | 1,50,000           | 50,000           | 1,00,000           |
| 3.  | 22098       | 30.07.2015                                   | 1,40,000           | 40,000           | 1,00,000           |
| 4.  | 22228/22218 | 31.07.2015                                   | 1,23,000           | 23,000           | 1,00,000           |
| 5.  | 22576       | 04.08.2015                                   | 1,60,000           | 60,000           | 1,00,000           |
| 6.  | 23094       | 06.08.2015                                   | 1,80,000           | 80,000           | 1,00,000           |
| 7.  | 23193       | 07.08.2015                                   | 1,56,000           | 56,000           | 1,00,000           |
| 8.  | 23343       | 10.08.2015                                   | 1,61,000           | 61,000           | 1,00,000           |
| 9.  | 26154       | 01.09.2015                                   | 1,30,000           | 30,000           | 1,00,000           |
| 10. | 26634       | 07.09.2015                                   | 1,20,000           | 20,000           | 1,00,000           |
| 11. | 7781        | 19.02.2016                                   | 1,20,000           | 20,000           | 1,00,000           |
| 12. | 7945        | 20.02.2016                                   | 1,10,000           | 10,000           | 1,00,000           |
| 13. | 40558       | 24.02.2016                                   | 1,04,000           | 4,000            | 1,00,000           |
| 14. | 8352        | 26.02.2016                                   | 1,02,400           | 2,400            | 1,00,000           |
| 15. | 40869       | 29.02.2016                                   | 1,12,800           | 2,800            | 1,00,000           |
| 16. | 8728        | 03.03.2016                                   | 1,01,200           | 1,200            | 1,00,000           |
| 17. | 8827        | 04.03.2016                                   | 1,01,600           | 1,600            | 1,00,000           |
| 18. | 9756        | 16.03.2016                                   | 1,11,600           | 1,600            | 1,00,000           |
| 19. | 10114/10119 | 21.03.2016                                   | 1,11,200           | 1,200            | 1,00,000           |
|     |             | <b>उप-योग<br/>( 2015-16 )</b>                | <b>24,74,800</b>   | <b>5,44,800</b>  | <b>19,30,000</b>   |
| 1.  | 20745       | 18.08.2016                                   | 1,50,000           | 50,000           | 1,00,000           |
| 2.  | 56034       | 07.09.2016                                   | 2,50,000           | 50,000           | 2,00,000           |
| 3.  | 56499       | 12.09.2016                                   | 2,50,000           | 50,000           | 2,00,000           |
| 4.  | 58098       | 26.09.2016                                   | 2,50,000           | 50,000           | 2,00,000           |
| 5.  | 34555       | 04.01.2017                                   | 1,04,000           | 4,000            | 1,00,000           |
| 6.  | 64288/64686 | 07.03.2017                                   | 1,03,500           | 3,500            | 1,00,000           |
| 7.  | 42193       | 07.04.2017                                   | 1,02,500           | 2,500            | 1,00,000           |
|     |             | <b>उप-योग<br/>( 2016-17 )</b>                | <b>12,10,000</b>   | <b>2,10,000</b>  | <b>10,00,000</b>   |
| 1.  | 71018       | 31.07.2017                                   | 1,55,000           | 55,000           | 1,00,000           |
| 2.  | 72041       | 14.08.2017                                   | 1,50,000           | 50,000           | 1,00,000           |
| 3.  | 74504       | 05.09.2017                                   | 1,20,000           | 20,000           | 1,00,000           |
| 4.  | 63677       | 03.01.2018                                   | 1,17,000           | 17,000           | 1,00,000           |
| 5.  | 63952       | 06.01.2018                                   | 1,20,000           | 20,000           | 1,00,000           |
| 6.  | 89938       | 01.03.2018                                   | 1,41,000           | 41,000           | 1,00,000           |
|     |             | <b>उप-योग<br/>( 2017-18 )</b>                | <b>8,03,000</b>    | <b>2,03,000</b>  | <b>6,00,000</b>    |
|     |             | <b>कुल-योग<br/>सभी शैक्षणिक वर्ष 2011-18</b> | <b>1,35,21,900</b> | <b>22,64,900</b> | <b>1,12,57,000</b> |

## परिशिष्ट-3.3

( संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 58 )

तालिका संख्या 1 परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर हुए परिहार्य व्यय का विवरण

( राशि ₹ में )

| कॉलम संख्या | 1                                      | 2                      | 3               | 4   | 5                           | 6  | 7                     | 8                   |
|-------------|--|------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| कॉलम संख्या | वर्ष                                   | भुगतान हेतु उड़ान घंटे | सेवा कर प्रतिशत | प्रति घंटा प्रयोज्य दरें                      | भुगतान की गई वार्षिक राशि * | वृद्धि किए बिना दर                         | कॉलम संख्या ( 2 * 6 ) | कॉलम संख्या ( 5-7 ) |
| क्रम संख्या | वर्ष                                   | भुगतान हेतु उड़ान घंटे | सेवा कर प्रतिशत | प्रति घंटा प्रयोज्य दरें                      | भुगतान की गई वार्षिक राशि * | वृद्धि किए बिना दर                         | कॉलम संख्या ( 2 * 6 ) | आधिक्य              |
| 1.          | 2013                                   | 578.30                 | 12.36           | 3,79,758<br>(3,37,984+<br>सेवा कर<br>41,774)  | 21,96,14,051                | 3,79,758<br>(3,37,984+<br>सेवा कर 41,774)  | 21,96,14,051          | --                  |
| 2.          | 2014                                   | 464.04                 | 12.36           | 4,17,734<br>(3,71,782+<br>सेवा कर<br>45,952)  | 19,38,56,541                | 3,79,758<br>(3,37,984+<br>सेवा कर 41,774)  | 17,62,22,902          | 1,76,33,639         |
| 3.          | 2015<br>(जनवरी 15<br>से मई 15)         | 200                    | 12.36           | 4,55,709<br>(4,05,580+<br>सेवा कर<br>50,129)  | 23,52,69,328                | 3,79,758<br>(3,37,984+<br>सेवा कर 41,774)  | 7,59,51,600           | 5,24,96,602         |
| 4.          | 2015 (जून<br>15 से<br>दिसम्बर 15)      | 277.24                 | 14.00           | 4,62,361<br>(4,05,580+<br>सेवा कर<br>56,781)  |                             | 3,85,302<br>(3,37,984+<br>सेवा कर 47,318)  | 10,68,21,126          |                     |
| 5.          | 2016<br>(जनवरी 16<br>से मई 16)         | 200                    | 14.50           | 5,03,089<br>(4,39,379 +<br>सेवा कर<br>63,710) | 23,87,05,472                | 3,86,992<br>(3,37,984+<br>सेवा कर 49,008)  | 7,73,98,400           | 5,51,77,452         |
| 6.          | 2016 (जून<br>16 से<br>दिसम्बर 16)      | 273.05                 | 15.00           | 5,05,286<br>(4,39,379+<br>सेवा कर<br>65,907)  |                             | 3,88,682<br>(3,37,984 +<br>सेवा कर 50,698) | 10,61,29,620          |                     |
| 7.          | 2017<br>(जनवरी 17<br>से जून 17)        | 240                    | 15.00           | 5,44,153<br>(4,73,179+<br>सेवा कर<br>70,976)  | 25,96,09,989                | 3,88,682<br>(3,37,984 + सेवा<br>कर 50,698) | 9,32,83,680           | 5,85,64,875         |
| 8.          | 2017<br>(जुलाई 17<br>से दिसम्बर<br>17) | 270.20                 | 18.00           | 5,58,348<br>(4,73,177+<br>सेवा कर<br>85,171)  |                             | 3,98,821<br>(3,37,984 + सेवा<br>कर 60,837) | 10,77,61,434          |                     |
| योग:        |  |                        |                 |   | 1,14,70,55,381              |  | 96,31,82,813          | 18,38,72,568        |

\*विभागीय आंकड़े

तालिका संख्या 2 एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्यों ( अनुबंध निष्पादन के पूर्व ) की प्रवृत्ति

| वर्ष                   | दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल का औसत वार्षिक मूल्य ( ₹ प्रति किलोलीटर ) | 2008 के मूल्य से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन |
|------------------------|---|---|
| 2008 ( जून-दिसम्बर )   | 58,481  | -   |
| 2009 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 34,401  | -41.17  |
| 2010 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 40,900  | -30.00  |
| 2011 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 57,046  | -2.45   |
| 2012 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 66,370  | +13.48  |

तालिका संख्या 3 एविएशन टर्बाइन फ्यूल ( अनुबंध अवधि के दौरान ) के मूल्यों की प्रवृत्ति

| वर्ष                   | दिल्ली में एविएशन टर्बाइन ईंधन का औसत वार्षिक मूल्य ( ₹ प्रति किलोलीटर ) | 2013 के मूल्य से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन |
|------------------------|--|---|
| 2013 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 69,275   | -   |
| 2014 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 69,794   | 0.75  |
| 2015 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 47,563   | -31.34  |
| 2016 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 44,446   | -35.84  |
| 2017 ( जनवरी-दिसम्बर ) | 51,958   | -24.99  |

तालिका संख्या 4 उड़ान घंटों का उपयोग

| वर्ष | प्रतिबद्ध उड़ान घंटे | वास्तविक प्रयुक्त उड़ान घंटे | भुगतान किया गया ( उड़ान घंटों में ) | आधिक्य( + )/कमी ( - )* | अप्रयुक्त घंटों हेतु अतिरिक्त भुगतान ( ₹ करोड़ में ) |
|------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 2013 | 464.22               | 578.30                       | 578.30                              | +115.03                | -  |
| 2014 | 464.04               | 387.40                       | 464.04                              | -76.24                 | 3.18   |
| 2015 | 477.24               | 428.20                       | 477.24                              | -49.04                 | 2.27   |
| 2016 | 473.05               | 432.30                       | 473.05                              | -40.35                 | 2.03   |
| 2017 | 472.55               | 510.22                       | 510.22                              | +37.27                 | -  |
| योग  |                      |                              |                                     | -13.33 घंटों           | 7.48   |

\*विभागीय आंकड़े

तालिका संख्या 5 प्रति उड़ान घंटा दर

| वर्ष   | 2013 | 2014 | 2015     |             | 2016     |             | 2017      |               |
|--|------|------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|  |      |      | जनवरी-मई | जून-दिसम्बर | जनवरी-मई | जून-दिसम्बर | जनवरी-जून | जुलाई-दिसम्बर |
| प्रति उड़ान घंटा दर ( ₹ लाख में )                  | 3.38 | 3.72 | 4.06     | 4.06        | 4.39     | 4.39        | 4.73      | 4.73          |
| सेवा कर सहित कुल प्रति उड़ान घंटा दर ( ₹ लाख में ) | 3.80 | 4.18 | 4.56     | 4.62        | 5.03     | 5.05        | 5.44      | 5.58          |

असंतोषजनक सेवाएं:

पवन हंस लिमिटेड को अनुबंध रद्द करने हेतु कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया (मार्च 2015) क्योंकि बारम्बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद जनवरी 2013 व मार्च 2015 के मध्य लगातार हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया। फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक सतत् खराब सेवाओं के चलते अनुबंध रद्द करने हेतु फिर से अन्य कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया (मार्च 2017)। रेसिडेंट आयुक्त, पांगी ने भी असंतोषजनक सेवाओं की शिकायत की थी (मार्च 2017)। हालांकि न तो जुर्माना लगाने हेतु (अनुबंध में जुर्माना लगाने हेतु कोई खंड नहीं था) और न ही अनुबंध की दिसंबर 2017 में समाप्ति से पूर्व पवन हंस लिमिटेड से अनुबंध रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई की गई।

जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 के दौरान परिवहन हेलीकॉप्टर के सेवा रिकार्ड में पाया गया कि, अगस्त 2018 में 3 दिनों, सितम्बर 2018 में 12 दिनों, अक्टूबर 2018 में 20 दिनों, नवम्बर 2018 में 30 दिनों, दिसम्बर 2018 में पांच दिनों तथा अप्रैल 2019 से 2 माह से अधिक समय तक हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। इसके अतिरिक्त इस दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान न करने की कई शिकायतों की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि शीतकाल के दौरान बर्फीले क्षेत्रों की जनता को निकासी/आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तथापि, अनुबंध रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका।

## परिशिष्ट-3.4

( संदर्भ परिच्छेद 3.8; पृष्ठ 64 )

2014-19 के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का योजना-वार विवरण

( राशि ₹ में )

| क्रम संख्या | योजना का नाम   | 2014-15            | 2015-16             | 2016-17             | 2017-18             | 2018-19             |
|-------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.          | मातृत्व लाभ  | 9,15,000           | 19,250              | 12,34,500           | 11,31,000           | 32,97,000           |
| 2.          | पेंशन  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 2,59,500            |
| 3.          | घर खरीदने या पुनर्निर्माण के लिए अग्रिम  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4.          | विकलांगता पेंशन  | 0                  | 4,30,000            | 11,500              | 17,500              | 7,000               |
| 5.          | उपकरण खरीदने के लिए ऋण   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6.          | अन्तिम संस्कार सहायता के लिए भुगतान  | 1,40,000           | 24,00,000           | 3,55,000            |                     | 1,14,43,334         |
| 7.          | मृत्यु लाभ के लिए भुगतान   | 1,70,000           | 14,42,197           | 57,75,000           | 67,25,374           | 0                   |
| 8.          | लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता   | 2,38,516           | 1,53,80,600         | 28,13,554           | 41,25,122           | 59,19,876           |
| 9.          | शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता   | 1,19,80,000        | 2,63,14,800         | 2,24,21,451         | 2,01,42,603         | 8,66,89,465         |
| 10.         | विवाह के लिए वित्तीय सहायता  | 78,76,000          | 17,89,556           | 4,59,81,342         | 4,96,80,736         | 8,00,86,309         |
| 11.         | साईकिल के लिए वित्तीय सहायता   | 18,24,957          | 3,50,00,000         | 31,13,123           | 2,74,25,237         | 80,22,157           |
| 12.         | स्टोव सहायता के लिए वित्तीय सहायता   | 66,63,719          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13.         | सामान्य कल्याण गतिविधियां (श्रमिकों का प्रचार)   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 7,56,519            |
| 14.         | जीआईएस   | 3,20,000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15.         | कौशल विकास   | 0                  | 3,21,44,100         | 47,578              | 0                   | 0                   |
| 16.         | राहत निधि  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17.         | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 80,444             | 0                   | 0                   | 5,74,436            | 34,65,828           |
| 18.         | पारगमन छात्रावास   | 0                  | 4,89,000            | 0                   | 1,73,186            | 71,601              |
| 19.         | कार्य स्थल के क्रेचों पर खर्च  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 8,31,400            |
| 20.         | कपड़े धोने की मशीन   | 0                  | 30,36,157           | 2,99,44,041         | 11,04,15,131        | 1,67,36,000         |
| 21.         | इंडक्शन हीटर   | 0                  | 26,00,000           | 2,67,92,222         | 2,60,18,804         | 51,06,879           |
| 22.         | सोलर लालटेन  | 0                  | 11,56,200           | 5,53,195            | 5,66,38,160         | 2,09,13,803         |
| 23.         | स्टोर शुल्क  | 0                  | 0                   | 1,50,022            | 17,23,730           | 9,55,550            |
| 24.         | अन्य   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 3,27,416            |
|             | <b>योग</b>   | <b>3,02,08,636</b> | <b>12,22,01,860</b> | <b>13,91,92,528</b> | <b>30,47,91,019</b> | <b>24,48,89,637</b> |
|             | <b>सकल योग</b>   |                    |                     |                     |                     | <b>84,12,83,680</b> |

परिशिष्ट-3.5

( संदर्भ परिच्छेद 3.10; पृष्ठ 67 )

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों हेतु संस्वीकृत निर्माण कार्यो को दर्शाने वाली विवरणी

( राशि ₹ में )

| क्रम संख्या                            | कार्य का नाम  | संस्वीकृत संख्या एवं तिथि | कार्यकारी एजेंसी ( खण्ड विकास अधिकारी ) | राशि             |
|--|---|---------------------------|---|------------------|
| <b>I. जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ</b> |   |                           |   |                  |
| 1.                                     | नेरेनस मन्दिर, टांगी का निर्माण                               | 5706-12 दिनांक 12.6.2017  | पूह                                     | 1,82,000         |
| 2.                                     | हिरमा माता मन्दिर कपोहर (चौरा) का निर्माण                     | 5706-12 दिनांक 12.6.2017  | निचार                                   | 10,00,000        |
| 3.                                     | जय श्री सत्य नारायण मन्दिर थनाग, सुंगरा का निर्माण            | 6206-12 दिनांक 08.8.2017  | कल्पा                                   | 3,00,000         |
| 4.                                     | बोध मन्दिर में लंगर भवन (मिखण्ड) का निर्माण                   | 6368-74 दिनांक 21.8.2017  | पूह                                     | 3,00,000         |
| 5.                                     | मोध मन्दिर (बारी) के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण        | 6518 दिनांक 11.9.2017     | निचार                                   | 50,000           |
| 6.                                     | नारायण मन्दिर (बारी) स्थित मुख्यद्वार का निर्माण              |                           | निचार                                   | 3,00,000         |
| 7.                                     | लाह देवता वायुधा मन्दिर, सुंगरा का निर्माण                    |                           | निचार                                   | 3,00,000         |
| 8.                                     | बोध मन्दिर, कंदर का निर्माण                                   |                           | निचार                                   | 2,00,000         |
| 9.                                     | नागनी माता में सामुदायिक केन्द्र (छोटा कस्बा) का निर्माण      | 6649-57 दिनांक 25.9.2017  | निचार                                   | 6,00,000         |
| 10.                                    | ऊषा माता मन्दिर, निचार का निर्माण                             | 1584-92 दिनांक 22.6.2018  | निचार                                   | 2,00,000         |
| 11.                                    | नारायण मन्दिर, बारी में सामुदायिक भवन का निर्माण              | 9019-25 दिनांक 1.10.2014  | निचार                                   | 3,00,000         |
| 12.                                    | सत्यनारायण मन्दिर, थनाग (सुंगरा) में सामुदायिक भवन का निर्माण | 9019-25 दिनांक 1.10.2014  | निचार                                   | 3,00,000         |
| <b>योग ( I )</b>                       |   |                           |   | <b>40,32,000</b> |

| <b>II. जिला कांगड़ा</b> |  |                 |   |          |
|-------------------------|--|-----------------|---|----------|
| क्रम संख्या             | कार्य का नाम   | स्कीम नं0       | कार्यकारी एजेंसी ( खण्ड विकास अधिकारी ) | राशि     |
| 1.                      | माता कृपा सुन्दरी, बीड़ के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                      | वीकेवी/2015/917 | बैजनाथ                                  | 200,000  |
| 2.                      | शिव मन्दिर फाटाहार (समलोट्ट) के पास रेलिंग एवं फैसिंग का निर्माण             | वीकेवी/2015/855 | बैजनाथ                                  | 50,000   |
| 3.                      | पुराने महावीर मन्दिर के पास शौचालय का निर्माण                                | वीकेवी/2015/114 | भवारना                                  | 50,000   |
| 4.                      | भराड़ी माता मन्दिर के पास शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण                    | वीकेवी/2015/559 | भवारना                                  | 70,000   |
| 5.                      | बराका वार्ड के अन्तर्गत कल्होली माता मन्दिर के पास सराय का निर्माण           | वीकेवी/2015/317 | भवारना                                  | 1,25,000 |
| 6.                      | गुग्गा मन्दिर अम्ब सालेहत्तर के पास वर्षा शालिका का निर्माण                  | वीकेवी/2015/423 | देहरा                                   | 1,50,000 |
| 7.                      | गांव गहरेला में माता मन्दिर के पास प्रतिधारण दीवार का निर्माण                | वीकेवी/2015/397 | देहरा                                   | 30,000   |
| 8.                      | अप्पर पैसा में त्रिमूर्ति मन्दिर छेड़नाला के पास सामुदायिक भवन को पूर्ण करना | वीकेवी/2015/586 | देहरा                                   | 1,00,000 |
| 9.                      | ग्राम पंचायत टांग वार्ड नं0 बी में शिव मन्दिर के पास रसोई घर का निर्माण      | वीकेवी/2015/723 | धर्मशाला                                | 1,00,000 |
| 10.                     | मन्दिर, सजवान के पास सराय चार दीवारी का निर्माण                              | वीकेवी/2015/741 | फतेहपुर                                 | 2,00,000 |

|     |  |   |              |          |
|-----|--|---|--------------|----------|
| 11. | गांव बरोदा में पीर बाबा के पास सराय का निर्माण   | वीकेवी/2015/1194                              | इन्दौरा      | 1,50,000 |
| 12. | शिव मन्दिर काठगढ़ के पास पार्क को सुरक्षित करने हेतु प्रतिधारण दीवार का निर्माण            | वीकेवी/2015/740                               | इन्दौरा      | 5,00,000 |
| 13. | पीरबाबा, हड़ोली के पास कुश्ती अखाड़ा एवं स्टेडियम का निर्माण                               | वीकेवी/2015/1                                 | इन्दौरा      | 2,00,000 |
| 14. | गांव राजा खारा में गुरुद्वारा साहिब, मोहल्ला टट्टन के पास सराय का निर्माण                  | वीकेवी/2015/183                               | इन्दौरा      | 1,50,000 |
| 15. | नागनीमाता मन्दिर, वार्ड नं0 3 के पास स्टेज का निर्माण                                      | वीकेवी/2015/485                               | इन्दौरा      | 50,000   |
| 16. | श्रीकृष्ण सभा सदन के पास सामुदायिक हाल का निर्माण  | वीकेवी/2015/219                               | कांगड़ा      | 2,45,000 |
| 17. | 11वीं मंजिल पर सीता राम मन्दिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण                         | वीकेवी/2015/970                               | कांगड़ा      | 3,00,000 |
| 18. | शीतला माता मन्दिर, सदरपुर के पास सराय का निर्माण   | वीकेवी/2015/579                               | कांगड़ा      | 3,00,000 |
| 19. | हरिजन बस्ती वार्ड नं0 7 में गुरु रविदास भवन को पूर्ण करना                                  | वीकेवी/2015/235                               | कांगड़ा      | 70,000   |
| 20. | वार्ड नं0 3 जाखू मन्दिर के पास शैड का निर्माण  | वीकेवी/2015/778                               | कांगड़ा      | 1,20,000 |
| 21. | गांव अम्ब, वार्ड नं0 4 में शिव मन्दिर के पास सराय का निर्माण                               | वीकेवी/2015/799                               | लम्बागांव    | 1,00,000 |
| 22. | ग्राम पंचायत पटियालकर में नैना देवी मंदिर में स्टील शैड का निर्माण                         | वीकेवी/2015/11                                | नगरोटा बगवां | 1,00,000 |
| 23. | वार्ड नं0 15सी, बस्ती, पटियालकर में गुरु रविदास सराय को पूर्ण करना                         | वीकेवी/2015/1007                              | नगरोटा बगवां | 60,000   |
| 24. | शिव मन्दिर घियोरा के पास शैड का निर्माण  | वीकेवी/2015/1080                              | नूरपुर       | 80,000   |
| 25. | शिव मंदिर बलदून के पास संरक्षण कार्य का निर्माण  | वीकेवी/2015/1169                              | नूरपुर       | 1,10,000 |
| 26. | प्राचीन मंदिर, शिवद्वाला के पास संरक्षण कार्य का निर्माण                                   | वीकेवी/2015/1074                              | नूरपुर       | 1,10,000 |
| 27. | गुरुद्वारा, वार्ड नं0 7 के पास शैड का निर्माण  | वीकेवी/2015/1125                              | नूरपुर       | 50,000   |
| 28. | नलहरू महादेव मंदिर के पास लंगर बरामदा का निर्माण   | वीकेवी/2015/32                                | पंचरूखी      | 1,00,000 |
| 29. | वार्ड नं0 5, गांव गुरेहड़ में लक्ष्मी-नारायण मंदिर, के पास सराय का निर्माण                 | वीकेवी/2015/664<br>(संस्वीकृति रद्द कर दी गई) | पंचरूखी      | 1,50,000 |
| 30. | मंदिर ओडर में सराय का निर्माण  | वीकेवी/2015/260                               | पंचरूखी      | 1,25,000 |
| 31. | गांव अमद्रेटा वार्ड नं0 3, अनुसूचित जाति बस्ती में गुरु रविदास मंदिर के पास शैड का निर्माण | वीकेवी/2015/786                               | पंचरूखी      | 2,00,000 |
| 32. | शिव मंदिर राम बैह अमनी के पास शैड का निर्माण   | वीकेवी/2015/599                               | प्रागपुर     | 80,000   |
| 33. | कार्ट, गुग्गा मंदिर वार्ड नं0 3 के पास लंगर शैड का निर्माण                                 | वीकेवी/2015/597                               | देहरा        | 25,000   |
| 34. | वार्ड नं0 3, चामुण्डा माता मन्दिर के पास शैड का निर्माण                                    | वीकेवी/2015/962                               | रैत          | 40,000   |
| 35. | वार्ड नं0 4, माता मन्दिर, बजहरड के पास शैड का निर्माण                                      | वीकेवी/2015/952                               | रैत          | 50,000   |
| 36. | शिव मन्दिर, गडियारा के पास सामुदायिक भवन के लिए आंगन का निर्माण                            | वीकेवी/2015/706                               | सुलह         | 1,00,000 |
| 37. | जीपी कैंट क्षेत्र नाथ मोहल्ला गोरख नाथ मन्दिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण          | वीकेवी/2015/1214                              | धर्मशाला     | 2,00,000 |

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदन - सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र ( गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम )

|                 |  |                  |              |                  |
|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 38.             | जीपी मंडेहड के पास चार दीवारी का निर्माण                                       | वीकेवी/2015/430  | बैजनाथ       | 1,00,000         |
| 39.             | सेवादार धर्मचन्द पन्तेहार हनुमान मन्दिर के पास शैड का निर्माण                  | वीकेवी/2015/454  | बैजनाथ       | 30,000           |
| 40.             | रासेहार में गुरु रविदास मन्दिर, के लिए रसोई घर का निर्माण                      | वीकेवी/2015/89   | भवारना       | 50,000           |
| 41.             | जीपी लोहाना में वाल्मिकी मन्दिर, लोहाना के पास सराय के कार्य को पूर्ण करना     | वीकेवी/2015/473  | पालमपुर      | 1,00,000         |
| 42.             | जीपी आइमा में शनि मन्दिर, डोहरू मोहल्ला के पास पार्किंग के कार्य को पूर्ण करना | वीकेवी/2015/477  | भवारना       | 1,50,000         |
| 43.             | रेहर भराल गांव में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण                             | वीकेवी/2015/257  | देहरा        | 1,00,000         |
| 44.             | शिव मन्दिर पुरटियाला के पास वर्षा शालिका के कार्य को पूरा करना                 | वीकेवी/2015/277  | देहरा        | 1,00,000         |
| 45.             | पुरटियाला मंदिर में वर्षा शालिका को पूर्ण करना                                 | वीकेवी/2015/1174 | देहरा        | 50,000           |
| 46.             | मंदिर लखवाल के पास वर्षा शालिका को पूर्ण करना                                  | वीकेवी/2015/1175 | देहरा        | 1,00,000         |
| 47.             | गांव घरना में शिवाजी मन्दिर के पास वर्षा शालिका का निर्माण                     | वीकेवी/2015/1176 | देहरा        | 1,00,000         |
| 48.             | गुरुद्वारा, मनवाल जट्टा के पास सराय का निर्माण                                 | वीकेवी/2015/381  | देहरा        | 1,50,000         |
| 49.             | माता मंदिर, कांगर के पास सराय का निर्माण                                       | वीकेवी/2015/383  | देहरा        | 2,00,000         |
| 50.             | शनि देव मंदिर के पास डंगे का निर्माण   | वीकेवी/2015/392  | इन्दौरा      | 80,000           |
| 51.             | गुरुद्वारा सिंह सभा पालमपुर में सराय के कार्य को पूर्ण करना                    | वीकेवी/2015/229  | पालमपुर      | 1,00,000         |
| 52.             | शिव मन्दिर, लखमण्डल के पास हाल का निर्माण                                      | वीकेवी/2015/121  | नगरोटा बगवां | 3,00,000         |
| 53.             | वार्ड नं0 8 छतरोली में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण                         | वीकेवी/2015/938  | नूरपुर       | 2,50,000         |
| 54.             | वार्ड नं0 9 छतरोली में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण                         | वीकेवी/2015/939  | नूरपुर       | 75,000           |
| 55.             | शिव मन्दिर ओडर के पास सराय में रसोई एवं शौचालय का निर्माण                      | वीकेवी/2015/77   | लम्बागांव    | 1,00,000         |
| 56.             | सत्य नारायण मंदिर, वार्ड नं0 5 में सराय कार्य को पूर्ण करना                    | वीकेवी/2015/224  | पंचरूखी      | 1,50,000         |
| 57.             | मजहेनू में रविदास मंदिर के पास सराय का निर्माण                                 | वीकेवी/2015/783  | पंचरूखी      | 80,000           |
| 58.             | वार्ड नं0 3 धीमान बस्ती में सामुदायिक भवन गुग्गा मंदिर के पास शैड का निर्माण   | वीकेवी/2015/348  | प्रागपुर     | 1,00,000         |
| 59.             | वार्ड नं0 5 में नाग मन्दिर के पास शैड का निर्माण                               | वीकेवी/2015/820  | रैत          | 2,00,000         |
| 60.             | गांव गदियारा में मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                         | वीकेवी/2015/143  | सुलह         | 1,50,000         |
| 61.             | भेडू महादेव में रवि मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                      | वीकेवी/2015/613  | सुलह         | 5,00,000         |
| 62.             | वार्ड नं0 2 में बाबा रविदास मंदिर के पास सामुदायिक सराय का निर्माण             | वीकेवी/2015/724  | भवारना       | 1,00,000         |
| 63.             | वार्ड नं0 2 में प्राचीन शिव मंदिर डहोग के पास शैड का निर्माण                   | वीकेवी/2015/1114 | देहरा        | 50,000           |
| 64.             | वार्ड नं0 7 में गुग्गा मंदिर के पास सराय का निर्माण                            | वीकेवी/2015/1255 | प्रागपुर     | 2,00,000         |
| <b>योग (II)</b> |  |                  |              | <b>85,05,000</b> |

| ( III ) जिला सिरमौर स्थित नाहन |   |         |                                  |          |
|--------------------------------|---|---------|----------------------------------|----------|
| क्रम संख्या                    | स्कीम का नाम  | वर्ष    | कार्यकारी एजेंसी                 | राशि     |
| 1.                             | डेमाना में शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                               | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 2.                             | शिरगुल मंदिर चांदनी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                                   | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 3.                             | गांव सलानी वार्ड नं0 4 में गुग्गा माड़ी के पास सराय का निर्माण                        | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, नाहन         | 2,00,000 |
| 4.                             | गांव रिगडवाला में गुग्गामाड़ी के पास शैड का निर्माण                                   | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, नाहन         | 1,00,000 |
| 5.                             | गांव जाइड़ सरोगा में मां नगरकोटी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                      | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, नाहन         | 1,00,000 |
| 6.                             | गांव टोकियोन में ईदगाह पर शैड का निर्माण  | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 7.                             | गांव ब्रह्मपुर में मंदिर के पास सराय का निर्माण                                       | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 8.                             | श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर के पास सराय का निर्माण                                 | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 9.                             | सैनवाला मुबारिकपुर गांव में बाबा बालक नाथ मंदिर तथा चण्डी मंदिर के पास शैड का निर्माण | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 10.                            | मंदिर के पास सांझा प्रांगण भट्टूड़ी का निर्माण  | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 2,00,000 |
| 11.                            | गांव बिलवाली में माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                           | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 2,00,000 |
| 12.                            | रविदास मंदिर जमनीघाट के पास सामुदायिक भवन में चार दीवारी का निर्माण                   | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 13.                            | गांव रनवा में शिरगुल देवता मंदिर के पास सांझा आंगन का निर्माण                         | 2016-17 | खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह      | 1,00,000 |
| 14.                            | शिव मंदिर, मानल के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                                       | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 15.                            | निचला बंदली में शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                          | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 16.                            | परशुराम मंदिर के पास सांझा प्रांगण खतवाड़ का निर्माण                                  | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 1,00,000 |
| 17.                            | गुग्गा मंदिर के पास चन्द्रोली में सांझा प्रांगण का निर्माण                            | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 18.                            | डुमेश्वर मंदिर, डिम्बर के पास रसोई शैड का निर्माण                                     | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़       | 1,00,000 |
| 19.                            | गांव सुरला में ब्रह्मस्थान के रास्ते पर पुलिया का निर्माण                             | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, नाहन         | 20,000   |
| 20.                            | शिरगुल मंदिर राजगढ़ में रसोई तथा भण्डार घर के कार्य को पूर्ण करना                     | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़       | 50,000   |
| 21.                            | गुग्गा मंदिर कोटी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                                     | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 22.                            | शिव मंदिर, टिम्बकी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण                                    | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई        | 1,00,000 |
| 23.                            | थोड मंदिर के पास सामुदायिक भवन के कार्य को पूर्ण करना                                 | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़       | 1,00,000 |
| 24.                            | शिरगुल मंदिर, बडोल के पास प्रांगण का निर्माण  | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह      | 50,000   |
| 25.                            | काली माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                                       | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़       | 1,00,000 |
| 26.                            | गोगा मंदिर शरगांव के पास चबूतरे का निर्माण  | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़       | 1,00,000 |
| 27.                            | शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण  | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब | 2,00,000 |
| 28.                            | शीर मंदिर अमरपुर मोहल्ला के पास सीढ़ीनुमा रास्ते का                                   | 2017-18 | नगर परिषद, नाहन                  | 50,000   |

|                    |  |         |   |                  |
|--------------------|--|---------|---|------------------|
|                    | निर्माण  |         |   |                  |
| 29.                | कांगड़ा माता मंदिर, भलग के पास रसोई शैड का निर्माण             | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़                          | 1,00,000         |
| 30.                | गुग्गामाड़ी हरिजन बस्ती पलवारी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई                           | 50,000           |
| 31.                | महर्षि वाल्मिकी मंदिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण      | 2017-18 | परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, सिरमौर | 1,00,000         |
| 32.                | चूडेश्वर मंदिर वार्ड नं0 5 के पास सामुदायिक शैड का निर्माण     | 2017-18 | नगर परिषद, नाहन                                     | 1,50,000         |
| 33.                | वार्ड नं0 13 में माता मडानन के पास शैड का निर्माण              | 2017-18 | नगर परिषद, नाहन                                     | 50,000           |
| 34.                | गांव कुल्ह में मंदिर महासू के पास सामुदायिक प्रांगण का निर्माण | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई                           | 2,50,000         |
| 35.                | शिव मंदिर श्रींगी के पास गेट का निर्माण                        | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद                          | 1,00,000         |
| 36.                | गांव कूरन में सामुदायिक भवन तथा रविदास मंदिर का निर्माण        | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, नाहन                            | 1,00,000         |
| 37.                | शिरगुल महाराज मंदिर गेहल के पास सांझा आंगन का निर्माण          | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह                         | 50,000           |
| 38.                | शिरगुल महाराज मंदिर डियूरी के पास सांझा आंगन का निर्माण        | 2017-18 | खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह                         | 50,000           |
| <b>योग ( III )</b> |  |         |   | <b>39,70,000</b> |

| <b>(IV) जिला चम्बा</b> |  |                  |                  |                |
|------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| क्रम संख्या            | कार्य का नाम   | स्कीम आईडी       | निर्वाचन क्षेत्र | संस्वीकृत राशि |
| 1.                     | गांव भड़ेई में ज्वाला माता मंदिर के पास शैड का निर्माण                 | वीकेवी/2015/57   | भटियात           | 1,00,000       |
| 2.                     | देवी नाग मंदिर गरनोटा में स्नानागृह शौचालय का निर्माण                  | वीकेवी/2015/83   | भटियात           | 2,00,000       |
| 3.                     | गांव एंजल में नाग मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                | वीकेवी/2015/74   | भटियात           | 4,00,000       |
| 4.                     | महलखदाता चरण-I में रविदास सामुदायिक भवन का निर्माण                     | वीकेवी/2015/50   | भरमौर            | 2,00,000       |
| 5.                     | काली माता मंदिर डगलड के पास खेल मैदान का निर्माण                       | वीकेवी/2015/70   | भरमौर            | 1,00,000       |
| 6.                     | भलेई मंदिर में रसोई शैड का निर्माण                                     | वीकेवी/2015/2    | डलहौजी           | 6,00,000       |
| 7.                     | शक्ति मंदिर, ब्रांगल के पास सामुदायिक रसोई शैड एवं भंडार घर का निर्माण | वीकेवी/2015/195  | डलहौजी           | 2,50,000       |
| 8.                     | चौकी माता मंदिर, सुडली के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                 | वीकेवी/2016/78   | भटियात           | 3,10,000       |
| 9.                     | गांव गढ़ में लखदाता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण              | वीकेवी/2016/107  | भटियात           | 3,00,000       |
| 10.                    | देवी देहरा में लालपा माता मंदिर के पास सामुदायिक हाल का निर्माण        | वीकेवी /2016/284 | डलहौजी           | 2,50,000       |
| 11.                    | त्रिण्डी मंदिर के पास स्टेज का निर्माण                                 | वीकेवी /2016/285 | डलहौजी           | 1,25,000       |
| 12.                    | कासा मंदिर के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण                          | वीकेवी/2016/25   | चम्बा            | 1,00,000       |
| 13.                    | अप्पर गुडडा में हडिंगा माता मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण         | वीकेवी/2016/86   | चम्बा            | 1,00,000       |
| 14.                    | नाग मंदिर बोई के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                          | वीकेवी/2016/243  | चम्बा            | 1,00,000       |
| 15.                    | शारदा माता मंदिर देवी देहरा के पास सराय स्लैब का                       | वीकेवी/2016/271  | चम्बा            | 50,000         |

|   | निर्माण   |                  |        |                    |
|---|---|------------------|--------|--------------------|
| 16.                                       | गांव में भद्रकाली मंदिर के पास सराय भवन का निर्माण                    | वीकेवी/2016/159  | डलहौजी | 3,00,000           |
| 17.                                       | नाग मंदिर सलूनी के पास शैड का निर्माण                                 | वीकेवी/2016/279  | डलहौजी | 5,00,000           |
| 18.                                       | लखदाता मंदिर देवी डियारा के पास रसोई घर का निर्माण                    | वीकेवी/2017/79   | भटियात | 1,00,000           |
| 19.                                       | बाबा लखदाता मंदिर के पास सराय शालिका का निर्माण                       | वीकेवी /2017/166 | डलहौजी | 3,00,000           |
| 20.                                       | पुखरी में पोहलनी माता मंदिर का सुधार                                  | वीकेवी /2017/223 | डलहौजी | 4,50,000           |
| 21.                                       | निधार नाग मंदिर गांव खालांदर में सामुदायिक हॉल का निर्माण             | वीकेवी /2017/224 | डलहौजी | 3,50,000           |
| 22.                                       | चाऊंड माता मंदिर के पास धार में मेला मैदान का निर्माण                 | वीकेवी/2017/257  | भरमौर  | 50,000             |
| 23.                                       | चांजा माता मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण                         | वीकेवी/2017/268  | भरमौर  | 50,000             |
| 24.                                       | नाग मंदिर लालाडी में सामुदायिक शौचालय का निर्माण                      | वीकेवी/2017/149  | डलहौजी | 1,50,000           |
| 25.                                       | कांगान्दी माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण                  | वीकेवी/2017/69   | चम्बा  | 4,00,000           |
| 26.                                       | जीपी सिंघी में पथोडा नाग मंदिर के पास सामुदायिक हाल का निर्माण        | वीकेवी /2018/82  | चम्बा  | 1,00,000           |
| 27.                                       | हरदासपुरा में शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का परिवर्धन एवं परिवर्तन | वीकेवी /2018/3   | चम्बा  | 1,00,000           |
| 28.                                       | ज्वाला माता मन्दिर मथ के पास लोअर ललखारी के पास में स्लैब का निर्माण  | वीकेवी /2018/45  | चम्बा  | 1,00,000           |
| 29.                                       | समैला में नाग मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण                      | वीकेवी /2018/44  | चम्बा  | 1,50,000           |
| 30.                                       | देवी देहरा में शारदा माता मंदिर के पास वर्षा शालिका का निर्माण        | वीकेवी /2018/53  | चम्बा  | 2,00,000           |
| 31.                                       | काली माता मंदिर बूगा के पास सराय भवन का निर्माण                       | वीकेवी /2018/74  | चम्बा  | 1,00,000           |
| 32.                                       | शिव शक्ति मंदिर भराड़ी के पास खेल मैदान/ मेला मैदान का निर्माण        | वीकेवी /2018/77  | चम्बा  | 1,00,000           |
| <b>योग (IV)</b>                           |   |                  |        | <b>66,85,000</b>   |
| <b>सकल योग ( विवरण I, II, III एवं IV)</b> |   |                  |        | <b>2,31,92,000</b> |

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ परिच्छेद 3.14.5.1 (ग); पृष्ठ 80)

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम/नियमों तथा विकास योजनाओं के अनुसार विनियमनों का विवरण

| विनियमन   | नियमों के परिशिष्ट/विकास योजना के संगत परिच्छेदों के अनुसार प्रावधान   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|---|-------|-----------|-----------|-----|---|-----------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|--------|---------|-------|------|------------------|--------------------|-------|----------------|------|--------------|
| पार्किंग  | जहां भी व्यवहार्य हो एक पार्किंग मंजिल अवश्य बनानी होगी।   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| सोलर पैंसिव बिल्डिंग डिजाईन                             | शहरी एवं शहरीकरण योग्य आवासीय कॉलोनियों तथा अपार्टमेंट आदि सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक संस्थागत भवनों के लिए सोलर पैंसिव बिल्डिंग डिजाईन। सोलर पैंसिव हीटिंग एवं कूलिंग प्रणाली में विशिष्टताओं का विवरण, दिन की रोशनी की सुविधाएं, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, ऊर्जा कुशल एवं अन्य नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण का विवरण प्रस्तावित भवन नक्शे में दिया होना चाहिए जैसा कि डिजाईन में दर्शाया गया है तथा जहां आवश्यक हो स्थापित करने का प्रस्ताव है। नियमों के नियम 14 में निर्धारित है कि विकास योजना के विनियमों के अतिरिक्त सभी परिशिष्टों पर विचार किया जाना है।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| वर्षा जल संचयन संरचनाएं                                 | वर्षा जल संचयन संरचना की न्यूनतम क्षमता रूफ टॉप एरिया के 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर पर निकाली जाएगी। डलहौजी, नाहन की विकास योजनाओं में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का प्रावधान किया था परन्तु ऐसे टैंक की क्षमता निर्धारित नहीं की गई थी। विकास योजना धर्मशाला (रूफ टॉप एरिया 200 वर्ग मीटर से ऊपर), कुल्लू-भुन्तर, मण्डी, नाहन एवं सुन्दरनगर में प्रावधान है कि जहां पर रूफ टॉप एरिया 200 वर्ग मीटर से अधिक होगा वहां वर्षा जल संचयन संरचनाएं रूफ टॉप एरिया पर 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रस्तावित की जाएंगी।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| मंजिलों/भवनों की ऊंचाई                                  | नाहन विकास योजना का परिच्छेद 18 भवन की प्रकृति के अनुसार ऊंचाई को सीमित करता है अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक आदि तथा मार्ग की चौड़ाई। परिशिष्ट-1 में नियत है कि ऊंचाई सटे रास्ते की चौड़ाई पर आधारित होगी अर्थात् >3.00 मीटर तथा गैर-वाहन (10 मीटर); >3.00 मीटर परन्तु वाहन संबंधी (13 मीटर) तथा 3.00 मीटर तथा 5.00 मीटर के मध्य (15 मीटर)। विकास योजना सोलन, मण्डी तथा चम्बा का प्रावधान नीचे वर्णित है: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>विकास क्षेत्र का नाम</th> <th>क्षेत्र का वर्गीकरण</th> <th>सड़क चौड़ाई (मीटर में)</th> <th>मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सोलन</td> <td>अर्धनिर्मित क्षेत्र</td> <td>5</td> <td>4 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>&lt; 5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>अन्य क्षेत्र</td> <td>&lt; 7</td> <td>4 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>3 से 5</td> <td>3 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>5 से 7</td> <td>3 ½ + 1</td> </tr> <tr> <td>मण्डी</td> <td>----</td> <td>&lt; 3 तथा गैर वाहन</td> <td>3 (10 मीटर अधिकतम)</td> </tr> <tr> <td>चम्बा</td> <td>आंतरिक क्षेत्र</td> <td>----</td> <td>2 / विद्यमान</td> </tr> </tbody> </table> | विकास क्षेत्र का नाम   | क्षेत्र का वर्गीकरण                 | सड़क चौड़ाई (मीटर में) | मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग | सोलन | अर्धनिर्मित क्षेत्र | 5 | 4 + 1 | -उपरोक्त- | -उपरोक्त- | < 5 | 3 | -उपरोक्त- | अन्य क्षेत्र | < 7 | 4 + 1 | -उपरोक्त- | -उपरोक्त- | 3 से 5 | 3 + 1 | -उपरोक्त- | -उपरोक्त- | 5 से 7 | 3 ½ + 1 | मण्डी | ---- | < 3 तथा गैर वाहन | 3 (10 मीटर अधिकतम) | चम्बा | आंतरिक क्षेत्र | ---- | 2 / विद्यमान |
| विकास क्षेत्र का नाम                                    | क्षेत्र का वर्गीकरण  | सड़क चौड़ाई (मीटर में) | मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| सोलन  | अर्धनिर्मित क्षेत्र  | 5                      | 4 + 1                               |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| -उपरोक्त-   | -उपरोक्त-  | < 5                    | 3                                   |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| -उपरोक्त-   | अन्य क्षेत्र   | < 7                    | 4 + 1                               |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| -उपरोक्त-   | -उपरोक्त-  | 3 से 5                 | 3 + 1                               |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| -उपरोक्त-   | -उपरोक्त-  | 5 से 7                 | 3 ½ + 1                             |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| मण्डी   | ----   | < 3 तथा गैर वाहन       | 3 (10 मीटर अधिकतम)                  |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| चम्बा   | आंतरिक क्षेत्र   | ----                   | 2 / विद्यमान                        |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| फ्लोर क्षेत्र अनुपात                                    | भवन एवं उपलब्ध भूखण्ड क्षेत्र की प्रकृति पर 1.50 से 1.75 क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फ्लोर क्षेत्र अनुपात पर विचार किया जाता है। विकास योजनाओं के विभिन्न योजना क्षेत्रों हेतु प्लॉट तथा भवन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न मंजिल क्षेत्र अनुपात प्रदान किया जाता है।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| प्लिंथ ऊंचाई  | पहाड़ी ढलान पर प्लॉट के मामले में अधिकतम प्लिंथ ऊंचाई (डलहौजी का परिच्छेद 18) 3.50 मीटर है तथा समतल भूमि के मामले में अधिकतम प्लिंथ ऊंचाई 0.60 मीटर होगी। आंतरिक विकास योजना शिमला के परिच्छेद 10.4.8 तथा नियमों में दो मीटर प्लिंथ स्तर का प्रावधान है।   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| सैट-बैक्स   | एक मीटर तथा 12 मीटर (सामने) के बीच सभी चार तरफ भूखण्डों के विभिन्न आकारों के सैट बैक, कोई नहीं एवं साढ़े सात मीटर (बाएं), डेढ़ मीटर एवं साढ़े सात मीटर (दाएं) तथा एक मीटर एवं छः मीटर (पीछे)।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| हिल कटिंग   | अधिकतम 3.50 मीटर की ऊंचाई तक हिल कटिंग अनुमत्य है। भूमि कटिंग के प्रति सटी रोक दीवार को सहारा देने वाली दीवार के साथ भवन नहीं बनाया जाएगा तथा भूमि कटिंग में अधिकतम 1.00 मीटर की दूरी रखी जाएगी।   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| सीमांकन रिपोर्ट   | राजस्व प्राधिकारियों द्वारा चिह्नित भूमि में सीमाओं के पश्चात् आवेदक स्थिति अनुसार फार्म 11 या 12 में आवेदन करेगा।   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| अग्निशमन सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण                      | अग्निशमन प्रावधान तथा विशिष्टताएं भारत के राष्ट्रीय भवन कोड, 2005 के अनुसार होगी। राष्ट्रीय भवन कोड के परिच्छेद 2.25 में नियत है कि 15 मीटर ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई के भवनों को गगनचुम्बी भवन माना जाता है जिसमें अग्निशमन सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 की धारा 15 क में प्रावधान है कि 15 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई के भवन, औद्योगिक इकाइयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भवन योजनाओं अथवा विस्फोटक एवं अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी अथवा स्टेशन अग्निशमन अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर निदेशक, अग्निशमन सेवाएं अथवा मुख्य अग्निशमन अधिकारी से जैसा भी मामला हो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।   |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र | उच्चमार्गों, बाई पास तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की निर्धारित सड़कों से सटे प्लॉट के मामलों में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा जहां पर ये प्लॉट इन सड़कों से सीधे सटे हों एवं कनेक्टिंग ब्रिज के माध्यम से और ऐसी सड़कों के लिए रैम्प का निर्माण करने के माध्यम से सीधी पहुंच है।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र                          | संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अनुमति के लिए आवेदन करते समय एवं भवन को उपयोग करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र संरचना इंजीनियर द्वारा दिया जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना के पास संरचना इंजीनियर के रूप में पंजीकरण/मनोनयन करवाना आवश्यक है (सितम्बर 2016)। आगे अधिसूचना में बताया गया (फरवरी 2017) कि सरकार ने श्रेणी 'ए' पंजीकृत निजी व्यावसायिक उच्च वृद्धि वाले भवन को छोड़कर सभी मामलों से संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संरचना इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी है साथ ही संरचना इंजीनियर की प्रासंगिक योग्यता रखने वाले सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |
| निदेशक को छूट प्रदान करने की शक्तियां                   | हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम के अन्तर्गत सामान्य विनियमन के परिच्छेद 28 के अनुसार निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना को इसमें छूट देने का अधिकार है (i) जनहित में सरकारी परियोजनाओं के मामले में सैट-बैक तथा तल/भवन की ऊंचाई हेतु (ii) निजी भवनों के मामले में सैट-बैक तथा तल की ऊंचाई हेतु।  |                        |                                     |                        |                                     |      |                     |   |       |           |           |     |   |           |              |     |       |           |           |        |       |           |           |        |         |       |      |                  |                    |       |                |      |              |